"सुरक्षा सर्वोपरि"

सुरक्षा के उपाय

लखनऊ पुलिस

सूची

		पृष्ठ सं०
1.	शुभकामना संदेश	1-7
1.	महिला सुरक्षा	8-10
2.	घर की सुरक्षा	11-13
3.	बच्चों की सुरक्षा	14-16
4.	बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा	17-18
5.	असामाजिक तत्वों एवं उनकी गतिविधियों से सुरक्षा	19-19
7.	अपहरण तथा अपहरणकर्ताओं से बचाव हेतु उपाय	20-21
8.	व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा	22-22
9.	व्यवसायी वर्ग एवं अन्य संभ्रांत नागरिकगण द्वारा नकदी लाते—ले जाते समय सुरक्षा संबंधी सुझाव।	23-24
10.	ट्रेन / बस में सफर करते समय सुरक्षित रहने के सम्बन्ध में सुझाव।	25-26
11.	यातायात सुरक्षा :-	27-29
12.	कार / वाहन सुरक्षा :-	30-31
13.	अग्नि से सुरक्षा :-	32-34
14.	भूकम्प से सुरक्षा के उपाय :-	35-36
15.	साइबर अपराध से बचाव एवं सुरक्षा।	37-44
16.	आतंकी घटनाओं से बचाव एवं सुरक्षा।	45-49
17.	ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी कुछ सुझाव।	50-50
18.	कुछ नियम हम सभी के लिए।	51-52
19.	लखनऊ पुलिस के महत्वपूर्ण मोबाइल नम्बर	53-59

समर्पित उन नागरिकों को जो सुरक्षा नियमों की जानकारी के अभाव में संकट में पड़ जाते हैं

देबाशीष पण्डा
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

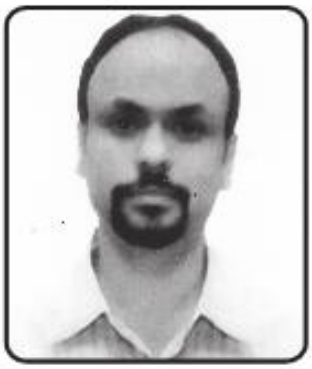

अर्द्ध शा. प.सं 818 / पी०सी०जी० / 20
गृह, गोपन, कारागार, सर्तकता, बीजा एवं पासपोर्ट विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
दूरभाष : 0522-2238291
0522-2215061
फैक्स : 0522-2237410
ई-मेल : pshomelko@gmail.com
लखनऊ : दिनांक 9 / 6 / 16

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आम नागरिकों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों और जरूरी सावधानियाँ बरतने की जानकारी देने के उद्देश्य से ''सुरक्षा सर्वोपरि'' नामक पुस्तिका तैयार कराई गयी है। जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ नगरीकरण का भी दायरा बढ़ा है। फलस्वरूप नई–नई कालोनियाँ विकसित हो रही हैं। इन कालोनियों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा नियमों की जानकारी के अभाव से विभिन्न प्रकार के अपराधियों का निशाना बनने की संभावना भी बनी रहती है।

इन्टरनेट एवं कम्प्यूटरीकरण के विकास के साथ–साथ नित नये–नये प्रकार के साइबर अपराध भी सामने आ रहे है। यदि सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की सामान्य जानकारी लोगों को उपलब्ध करा दी जाये तथा जन–जागरूकता विकसित की जाये तो आम आदमी अपराधियों का शिकार होने से बचेगा। साथ ही साथ वह जागरूकता के कारण दूसरे व्यक्तियों को भी अपराधों का शिकार होने से बचाने में मददगार होगा। ऐसे जागरूक नागरिकों की मदद से पुलिस को भी जनता का सहयोग मिलेगा, जिसका सीधा असर अपराध नियंत्रण एवं कानून–व्यवस्था पर पड़ेगा।

इस पुस्तिका के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जानकारी लोगों के लिए अत्यन्त उपयागी सिद्ध होगी और लोग छोटी–छोटी सावधानियाँ अपना कर अपराधों के शिकार होने से बच सकेंगे। साइबर अपराधों से लोगों को जागरूक करने में भी यह पुस्तिका एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका जहाँ एक ओर अपने उद्देश्य को सार्थक करेगी वहीं अपराध नियंत्रण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस पुस्तिका की सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्री आर०के०एस० राठौर
पुलिस उप महानिरीक्षक,
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

(देबाशीष पण्डा)

जावीद अहमद
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
फोन नं. 0522-220614 फैक्स नं. 2206120
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in
दिनांक : जून 7, 2016

सन्देश

श्री आर०के०एस० राठौर, पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा अपने लम्बे सेवाकाल एवं सुदीर्घ अनुभव के आधार पर नागरिकों की सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं का गहनता से संज्ञान लेते हुए आपराधिक घटनाओं से उनकी सुरक्षा हेतु सावधानियाँ एवं बचाव के उपायों को संकलित कर ''सुरक्षा सर्वोपरि'' पुस्तिका तैयार की गयी है जिसमें सुरक्षा के विविध आयामों को बड़ी सुन्दरता से निरूपित किया गया है। पुस्तिका में आपराधिक घटनाओं से बचाव के काफी सरल एवं उपयोगी उपाय सुझाये गये हैं जिनके अनुसरण से न केवल नागरिकों का आपराधिक घटनाओं से बचाव हो सकेगा अपितु उन लोगों को भी इससे काफी मदद मिलेगी जिन्हें सुरक्षा नियमों की जानकारी के अभाव में गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि यदि सभी नागरिक ''सुरक्षा सर्वोपरि'' पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें उल्लखित सावधानियों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें तो वे अपनी व अपने परिवार की एक बड़ी सीमा तक आपराधिक घटनाओं से सुरक्षा करने में सफल हो सकेंगे।

सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की दिशा में सुरक्षा के उपाय संकलित कर इसे पुस्तिका का रूप प्रदान कर जनहित में निर्गत किए जाने हेतु मैं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राठौर की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका सभी नागरिकों में सुरक्षा का भाव जागृत करने में सहायक होगी। नागरिकों से भी मेरी अपील है कि वे इस पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें इंगित सावधानियों एवं बचाव के तरीकों को अपनाते हुए अपने व अपने परिवार की स्वयं सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। इससे पुलिस प्रशासन को भी जनता की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित।

जावीद अहमद

दलजीत सिंह चौधरी
भा.पु.से.

सं० : सीए-एडीजीएलओ-विविध / 2016

अपर पुलिस महानिदेशक
कानून व्यवस्था, उ.प्र.
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
फोनः 0522-2208857,
फैक्सः 0522-220610
ई-मेल : adglo.up@nic.in

दिनांक : जून 10, 2016

सन्देश

श्री आर०के०एस० राठौर, पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा आधुनिक परिवेश में अपराधियों द्वारा विभिन्न तरीकों से की जा रही अपराधिक घटनायें एवं दैवीय आपदाओं से सुरक्षा हेतु सावधानियाँ एवं बचाव के उपायों का संकलन कर ''सुरक्षा सर्वोपरि'' पुस्तिका तैयार कर प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तिका में नागरिकों को अपराधिक घटनाओं एवं दैवीय आपदाओं के संकट से बचाव के काफी सरल उपाय सुझाये गये हैं। मेरा मानना है कि यदि प्रत्येक नागरिक इस पुस्तिका को पढ़कर इसमें उल्लिखित सावधानियों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेता है तो वह अपनी व अपने परिवार की अपराधिक घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दैवीय आपदाओं के समय संभावित खतरों से बचाव सुनिश्चित कर सकेगा।

''सुरक्षा सर्वोपरि'' की अवधारणा के साथ आप सभी नागरिकों से यह अपेक्षा करता हूँ कि इस पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें इंगित सावधानियों एवं बचाव के तरीकों को अपनाते हुये अपने व अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर सकेगें तथा पुलिस प्रशासन को भी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)

श्री आर०के०एस० राठौर
पुलिस उप महानिरीक्षक,
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

ए० सतीश गणेश
पुलिस महानिरीक्षक

सन्देश

आदि काल से समाज में अपराधिक घटनायें घटित होती रही हैं तथा समाज व उसके प्रहरियों द्वारा इसका प्रतिरोध किया जाता रहा है। पुलिस विभाग का मुख्य दायित्व भले लोगों की सुरक्षा कर असामाजिक, शरारती एवं अपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करना व उन्हें दण्ड दिलवाना है।

आधुनिक समय में अपराधियों द्वारा अपराध के नये–नये तरीके अपनाकर अपराधिक घटनायें कारित की जा रही हैं तथा आमजन सुरक्षा के उपायों की अनभिज्ञता व लापरवाही के कारण आसानी से उनका शिकार हो जाते हैं।

श्री आर०के०एस० राठौर, पुलिस उपमहानिरीक्षक , लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा ''सुरक्षा सर्वोपरि–सुरक्षा के उपाय'' नामक पुस्तिका तैयार कराई गई है, जिसमें उल्लिखित सावधानियाँ एवं बचाव के उपाय अत्यन्त ही उपयोगी हैं। आम जनता इनका अनुसरण करके आसानी से अपना व अपने परिवार का बचाव/सुरक्षा कर सकती है।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उक्त नियमों को आत्मसात् करते हुए लखनऊ जनपद के नागरिकगण इसका पालन करेंगे तथा अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा किये जाने में समर्थ होंगे।

(ए० सतीश गणेश)
पुलिस महानिरीक्षक
लखनऊ जोन, लखनऊ।

टी० वेंकटेश
आई.ए.एस.

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
कार्यालय : 2629522
फैक्स : (0522)2614900

दिनांक : जून 10, 2016

सन्देश

मानव सभ्यता के साथ ही से समाज में आये दिन आपराधिक घटनायें घटित होती रही हैं तथा समाज व उसके रक्षकों द्वारा इसका प्रतिरोध भी किया जाता रहा है। आधुनिक युग में अपराधियों द्वारा समाज के नये-नये तरीके एवं संसाधन खोज लिये गये हैं। आम नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन करने में पूर्णतया अनभिज्ञ है एवं आसानी से विभिन्न प्रकार के अपराधियों का शिकार बन जाते हैं।

श्री आर०के०एस० राठौर, पुलिस उप-महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा अपने लम्बे सेवाकाल एवं अनुभव के आधार पर नागरिकों को आपराधिक घटनाओं, साइबर क्राइम एवं दैवीय आपदाओं से सुरक्षा हेतु सावधानियाँ एवं बचाव के उपायों को संकलित कर ''सुरक्षा सर्वोपरि'' 'सुरक्षा के उपाय' पुस्तिका तैयार कराई गई है। इस पुस्तिका में उल्लिखित सावधानियों एवं बचाव के उपायों के अनुसरण करने से नागरिकों को आपराधिक घटनाओं से बचाव हो सकेगा एवं दैवीय आपदाओं के समय भी सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

मैं पुलिस उप-महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को उनके सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु किये गये इस प्रयास की भूरि-भूरि सराहना करता हूँ। आशा है कि 'सुरक्षा के उपाय' पुस्तिका सभी नागरिकों में सुरक्षा का भाव जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी।

(टी० वेंकटेश)

राज शेखर
आई.ए.एस.
जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर

अ. शा. पत्र सं. 1285 / 052 / 2016
दिनांक 24-06-2016 लखनऊ

का० { 0522-2623024
0522-2625653

आ० { 0522-2623912
0522-2614700

फैक्स : 0522-2260099

सन्देश

वर्तमान समय में जनपद लखनऊ का काफी अधिक विस्तार हो चुका है तथा चारों तरफ नई-नई कालोनियाँ विकसित हुई हैं। इन कालोनियों में अत्यधिक संख्या में लोग निवास कर रहे हैं, जो सुरक्षा नियमों से अनभिज्ञ होते हैं तथा आसानी से अपराधियों का शिकार बन जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री आर०के०एस० राठौर, पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा अपने लम्बे सेवाकाल एवं सुदीर्घ अनुभव के आधार पर आम नागरिकों को आपराधिक घटनाओं, साइबर क्राइम एवं दैवीय आपदाओं से सुरक्षा हेतु सावधानियाँ एवं बचाव के उपायों को संकलित कर ''सुरक्षा सर्वोपरि'' 'सुरक्षा के उपाय' पुस्तिका तैयार कराई गई है, जिसमें नागरिकों को विभिन्न आपराधिक घटनाओं एवं दैवीय आपदाओं से बचाव के काफी सरल उपाय सुझाये गये हैं। इनके अनुसरण से आम नागरिकों को आपराधिक घटनाओं से बचाव हो सकेगा एवं दैवीय आपदाओं के समय भी सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

मैं पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को उनके इस सराहनीय प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। मूझे पूर्ण विश्वास है कि 'सुरक्षा के उपाय' पुस्तिका सभी नागरिकों में सुरक्षा का भाव जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी तथा इससे पुलिस प्रशासन को भी जनता की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में निश्चित ही सहयोग मिलेगा।

(राज शेखर)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

मंजिल सैनी
आई.पी.एस.

अ. शा. पत्र सं.-एसटी / एस.एस.पी.सी. / 2016 / 4648

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
लखनऊ

दूरभाष कार्यालय : 0522-2628965
निवास { 0522-2625983
0522-2625984
फैक्स : 0522-2202004
मोबाइल : 9454400290
ई-मेल : ssplkw-up@nic.in
दिनांक : 20 / 06 / 2016

सन्देश

लखनऊ जनपद अपनी प्राचीन संस्कृति तथा शांत व अच्छी भौगोलिक स्थिति के कारण पूरे देश में विख्यात है। यही कारण है कि यहाँ के नागरिकगण शान्तिप्रिय व अनुशासित हैं, परन्तु किसी भी सामाजिक इकाई में विकास के साथ-साथ अपराधिक मानसिकता व हिंसा भी विकसित होने लगती है, जिसका सीधा-साधा व्यक्ति सर्वप्रथम लक्ष्य बन जाता है।

अतः लखनऊ के सम्भ्रान्त नागरिकगण को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तिका तैयार की गयी है, जिससे सभ्य नागरिकगण उसका मनन कर अपनी जीवनशैली में आत्मसात कर अपराधियों व घटनाओं से अपनी सुरक्षा कर सकें।

लखनऊ जनपद पुलिस अपने समस्त सम्भ्रान्त नागरिकगण की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध है, तथा उनके सहयोग व सुरक्षा नियमों के पालन से एक अच्छी व्यवस्था का वातावरण तैयार हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

(मंजिल सैनी)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ।

महिला सुरक्षा

चेन/पर्स छीनने वालों से कैसे बचें? /महिलाओं द्वारा थोड़े से साहस एवं चतुराई से निम्न प्रकार की बातों का ध्यान रखकर बचाव किया जा सकता है :-

1. अपना पर्स शरीर से लगाये रखें।
2. अपने पर्स को सदैव बंद रखें।
3. कीमती सामान व पैसे का अनावश्यक प्रदर्शन न करें।
4. आवश्यकतानुसार ही अपने पर्स में धन रखें, अधिक नहीं।
5. अपने चारों ओर सतर्क दृष्टि रखें।
6. यदि सम्भव हो तो लम्बी यात्रा के दौरान अधिक कैश न रखें, ए0टी0एम0 / क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर्स चेक ही रखें।
7. बाजार में घूमते समय यह देख लें कि कहीं आप अकेली तो नहीं पड़ गयी हैं।
8. बाज़ार में निर्जन स्थान पर चलते समय साड़ी व दुपट्टा आदि से अपनी चेन ढक लें।
9. प्रतिदिन एक ही समय में एक ही मार्ग से बाज़ार न जायें।
10. घर से बाहर एवं बाजार जाते समय निर्जन रास्ते के प्रयोग से बचें।
11. प्रातः एवं सायं को पार्कों में भ्रमण करते समय अथवा मंदिर आदि में जाते समय अपनी चेन / पर्स की सुरक्षा हेतु किसी संदिग्ध अजनबी व्यक्ति के दिखायी पड़ने पर सावधान रहें।
12. यदि आपके साथ कोई घटना घटित जो जाती है तो पुलिस कण्ट्रोल रूम / आस-पास के लोगों को तुरन्त बताएँ।
13. अपने टेलीफोन डायरेक्टरी / मेल बॉक्स में अपना इनिशियल ही अंकित करें।
14. थोड़े समय के लिए भी घर छोड़ना हो तो ताला बंद करके जायें।
15. लिफ्ट में किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने से हमेशा बचें। साथ ही अपने परिचितों पर भी एक सीमा के अन्दर ही विश्वास करें।
16. यदि लिफ्ट में आप पर हमला होता है तो सर्वप्रथम अलार्म बटन दबायें

और कोशिश करें कि कई बटन दबा दें ताकि लिफ्ट किसी न किसी मंजिल पर रूक जाये।

17. अँधेरे/एकान्त या सुनसान स्थानों पर जाने से बचें। जल्दी पहुँचने हेतु छोटे सुनसान रास्तों का प्रयोग न करें।
18. यदि मार्ग में किसी के द्वारा पीछा करने का संदेह हो तो अपने नियमित मार्ग को परिवर्तित कर गंतव्य स्थल पर पहुँचे अथवा भीड़-भाड़ वाले स्थान पर रूक जायें और स्थानीय थाना/चौकी से मदद लें।
19. रिहायशी इलाके में पीछा करने वालों से बचाव हेतु किसी रोशनी वाले मकान में जाकर सहायता माँगें।
20. एकान्त के पार्क/रास्तों या भवनों में जाने से बचें।
21. किसी अपरिचित द्वारा लिफ्ट बिल्कुल ही स्वीकार न करें।
22. घर में अकेले होने पर किसी अपरिचित/आगन्तुक को अन्दर न आने दें।
23. अकेले होने पर अपरिचित का फोन आने पर अपना अकेलापन भी जाहिर न करें।
24. यदि आप अकेले रहती हैं तो यथासम्भव मोबाइल फोन रखें तथा अपने परिचितों/संरक्षकों को उक्त नम्बर से अवगत करा दें। घर के लैंड लाइन फोन पर कॉलर आई.डी. की व्यवस्था लगवाकर अश्लील फोन करने वालों का पता लग सकता है।
25. तत्कालिक पुलिस सहायता हेतु निकट के थाना/चौकी अथवा 100 नम्बर, महिला हेल्पलाइन (1090) आदि नम्बरों पर अवश्य सूचित करें।
26. यदि छेड़-छाड़, बलात्कार अथवा किसी भी अन्य प्रकार की यातना से पीड़ित हैं तो आप अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक को (व्यक्तिगत पत्र लिखकर) भेज सकती हैं और यह अनुरोध कर सकती हैं कि आपका नाम गोपनीय रखा जाये। शिकायत के आधार पर अपराधियों के विरूद्ध मामले दर्ज किये जा सकते हैं। 1090 नम्बर सुविधा का भी लाभ उठाकर गोपनीयता रखते हुए प्रभावी परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
27. फेसबुक, व्हाट्स एप आदि अन्य सुविधाओं के प्रयोग में सतर्कता बरतें जिससे कोई अवांछनीय तत्व इसका दुरूपयोग न कर सके।
28. किसी नौकरी या कोर्स के लिए निकले विज्ञापनों से एकाएक आकर्षित

होकर वहाँ अपना विवरण, फोटो आदि न दें, पहले उनकी सच्चाई व विश्वसनीयता ज्ञात कर लें, तभी ज्वाइन करें।

29. आत्म सुरक्षा हेतु अपने साथ चिली पाउडर/पेपर स्प्रे भी रख सकती हैं तथा अपनी सुरक्षा की तकनीक (मार्शल आर्ट) को भी अवश्य सीखें।

सहायता के लिए कृपया सम्पर्क करें :-

1.	मार्डन कन्ट्रोल रूम	100
2.	वूमेन पॉवर लाईन	1090
3.	थाना प्रभारी महिला थाना	9454403860
4.	महिला सम्मान प्रकोष्ठ	9454401149
5.	जिला नियन्त्रण कक्ष	7704902964
6.	परिक्षेत्रीय कन्ट्रोल रूम	9454405167

घर की सुरक्षा

अपने घर की सुरक्षा के लिए आपको कुछ कार्य व्यक्तिगत और कुछ सामूहिक रूप से करने चाहिए। सामूहिक कार्यों में आप अपने ग्राम/मोहल्लों में सुरक्षा समिति अथवा किसी 'चौकीदार' को रखे जाने की पहल करा सकते हैं, या फिर 'पहल' में अपना सहयोग दे सकते हैं। मोहल्ले वालों को इस सम्बन्ध में जागरूक रखने का प्रयास कर सकते हैं, और उन्हें संगठित कर सकते हैं। इलाकाई पुलिस से सम्पर्क, उनकी गश्त, ''कण्ट्रोल रूम'', की गाड़ियों का बराबर अपने इलाकों में भ्रमण इत्यादि आप सुनिश्चित करा सकते हैं।

व्यक्तिगत रूप से आपके स्तर पर निम्न प्रयास घर को सुरक्षित रखने में सहायक होंगे :-

1. अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और न ही उन पर कभी विश्वास करना चाहिए।
2. सम्भव हो तो घर के दरवाज़े पर पालतू कुत्ता रखें।
3. घर का मुख्य द्वार एवं दरवाज़े हमेशा बंद रखें तथा बिना सत्यापन किये किसी 'अजनबी' के लिए न खोलें। (पत्नी तथा बच्चों को सतर्क कर दें) मुख्य दरवाज़े में ''मैजिक आँख'' तथा ''जंजीर की सिकड़ी'' अवश्य लगवायें ताकि आप आगन्तुक को देख सकें और दरवाज़ा खोलना भी पड़े तो बस थोड़ा सा खोलें। मुख्य द्वार मज़बूत बनायें।
4. दरवाज़े एवं खिड़कियों में मज़बूत 'ग्रिल' अवश्य लगवायें। बाथरूम के रोशनदान का ज़रूर ध्यान दें।
5. घर में नये नौकर/नौकरानी/धोबी/जमादार रखते समय पुलिस की सहायता से उनके चरित्र एवं पता सत्यापित अवश्य कर लें तथा उसका अंगुष्ठ छाप एवं पता अपने पास अवश्य रखें। नौकर रखते समय किन्हीं दो जिम्मेदार व्यक्तियों से भी उसकी जानकारी अवश्य प्रमाणित कर लें। नौकर से मिलने आने वाले लोगों को घर पर ठहरने न दें तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखें। रात में उसे बाहर सुलायें।
6. घर के कार्यों हेतु बढ़ई/राजमिस्त्री, प्लम्बर, धोबी, पुताई-पेंट कर्मी

आदि को विश्वस्त ठेकेदार से सत्यापित करके ही कार्य में लगायें।

7. नौकर तथा अपरिचित के सामने अलमारी, बक्सा आदि न खोलें तथा अपनी बहुमूल्य वस्तुएँ इधर-उधर न डालें, उन्हें ताले में रखें।
8. महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर को घर के महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा करें।
9. प्राईवेट कालोनी गार्ड एवं अपने व्यक्तिगत नौकरों को स्थानीय पुलिस एवं बीट कान्सटेबिल से सम्पर्क बनाये रखने हेतु बतायें।
10. यदि आपको किसी आकस्मिक घटना घटित होने की सूचना मिलती है तो घटना की सत्यता जानने के बाद ही घर छोड़ें।
11. रात्रि में सोने के लिए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि घर के सभी दरवाज़े एवं खिड़कियाँ ठीक से बन्द हैं अथवा नहीं।
12. रात्रि में सोने के लिए जाने से पूर्व छत के जीने का दरवाज़ा अवश्य बंद कर लें।
13. घर के आस-पास लगी झाड़ियों को काट कर रखें।
14. घर के मुख्य दरवाज़े की बत्ती जलाकर रखें।
15. यदि घर की चाबी खो जाये तो दूसरा ताला ही प्रयोग में लायें।
16. रात्रि में सोने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि घर के अन्दर कोई अजनबी व्यक्ति तो नहीं छिपा है।
17. प्रातः काल टहलने के लिए जाने से पूर्व अपने घर के किसी सदस्य को जगाकर बता दें कि वह घर का दरवाज़ा बंद कर लें।
18. घर के बाहर जाते समय यथा संभव एक 'बल्ब' जलाकर अवश्य जायें तथा पड़ोसी को अवश्य बताकर एवं आहट लेते रहने का अनुरोध करके जायें।
19. लटकने वाले तालों के बजाय, दरवाज़े के अन्दर फिट होने वाले तालों का प्रयोग करें।
20. घर के बाहर स्ट्रीट लाइट यथा सम्भव अवश्य लगवायें, फ्यूज़ होने पर तुरंत शिकायत करें।
21. घर पर आने वाले भिखारियों, सामान बेचने वालों एवं मदद चाहने वालों की अच्छी प्रकार से पहचान कर लें तथा इनसे घर के बाहर ही बात-चीत करें। आपके पारिवारिक सदस्यों के शुभचिन्तक होने का

दावा करने वालों के प्रति सतर्क दृष्टि रखें।

22. घर के बाहर जाते समय अख़बार बाहर डालने को मना कर दें (अखबारों का ढेर, चोरों को इशारा करते हैं कि आजकल घर में कोई नहीं है) यदि संभव हो तो चोरी से बचने वाले यंत्र लगवायें। अपने पड़ोसियों व रेजीडेंट एसोसिएशन को भी जानकारी दें व चौकीदारों तथा इलाके के बीट कान्सटेबिल को भी सूचित कर दें। घर में नकदी या जेवरात न छोड़ें।

23. पुरूष सदस्यों की अनुपस्थिति में घर पर आने वाले टेलीफोन, बिजली, गैस के बिल, दुकानदार, कबाड़ियों, कोरियर सेवा कर्मचारियों, फेरी वालों व अन्य सामान बेचने वाले लड़के/लड़कियों के प्रति सावधान रहें।

24. जब भी अपने घर के पास संदेहास्पद व्यक्तियों या घटना को देखें तो अपने नजदीकी पुलिस थाने/चौकी अथवा कण्ट्रोल रूम (100 नम्बर) को अवश्य सूचित करें।

25. अपने किरायेदार की जाँच पड़ताल अवश्य करें। बाद में परेशानी होने से बेहतर है कि पहले ही सावधानी रखी जाये। कुछ मामलों में किरायेदार असामाजिक एवं आतंकवादी गतिविधियों के पाये जाते हैं जिससे आप गम्भीर संकट में पड़ सकते हैं।

26. रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी वार बनाकर कॉलोनी में गेट आदि लगवायें व आगन्तुकों के प्रवेश पर निगरानी रखवायें। घर के बाहर यथासम्भव CCTV कैमरा लगवायें।

27. अपने घर को अपने पड़ोसी के घर के अलार्म बेल से जोड़ें।

बच्चों की सुरक्षा

क्या करें :-

1. यह सुनिश्चित कर लें कि आपके बच्चों को आपका नाम, मोबाइल नम्बर व पता ज्ञात हो।
2. अपने बच्चों को शिक्षा दें कि वे किसी अजनबी से कोई गिफ्ट या खाने आदि का सामान न लें।
3. अपने बच्चों के पहचान-चिन्ह से अवगत रहें और यह याद रखें कि आपके बच्चे ने कैसे कपड़े पहन रखे थे।
4. बच्चों को घर में अथवा मेला/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अकेला न छोड़े।
5. अपने बच्चों को समझायें कि परिचितों/दोस्तों के साथ ही खेलें एवं खेलने के लिए किसी निर्जन स्थान/बिल्डिंग का चयन न करें।
6. बच्चों की देखभाल करने के लिए नौकर नियुक्त करते समय उसकी विश्वसनीयता से अवश्य आश्वस्त हो लें।
7. बच्चों को खेलने के स्थान/घर के आस-पास भ्रमण करने वाले संदिग्ध अजनबियों/वाहनों के प्रति सतर्क रहें एवं संदेह होने पर पुलिस को सूचित करें।
8. बच्चों को खूब समझा दें कि यदि आपको कोई अजनबी व्यक्ति कार में खींचने/दबोचने का प्रयास करता है तो आप भागे और चिल्लायें। सुरक्षित स्थान पर पहुँचकर गाड़ी का नम्बर, मेक, कलर आदि सूचनायें नोट कर अपने माता-पिता, अध्यापक या पुलिस को तत्काल सूचित करें।
9. अपने बच्चों को समझायें कि यदि पूर्व में निकाला हुआ घरेलू नौकर सम्पर्क करने का प्रयास करे तो उसके बहकावे में न आकर उससे दूर रहने का प्रयास करें।
10. बच्चों को यह निर्देशित करें कि यदि आप साइकिल या स्कूटर से स्कूल जा रहे हो तथा रास्ते में ऐसा आभास हो कि आपका कोई पीछा कर रहा है तो आप भीड़-भाड़ वाले स्थान पर रूक जायें और स्थानीय थाने से तत्काल सम्पर्क करें।
11. बच्चों से समय-समय पर बातचीत करते रहें।

12. बच्चों को बाहर भेजते समय उनकी जेब में आई.डी. (पहचान पत्र) रखें एवं घर का मोबाइल या फोन नं. याद करा दें जिससे कि उनको किसी भी परेशानी के समय सुरक्षा का आभास हो सके।
13. बच्चों के स्कूल बैग पर माता-पिता के नाम-पता एवं मोबाइल नं० अंकित करें।

क्या न करें :-

1. अपने बच्चों को अजनबी व्यक्तियों का काम करने के लिए उत्साहित न करें, भले ही वह उन्हें उसके लिए पैसे दे रहे हों।
2. बच्चों को निर्देशित करें कि किसी अजनबी की गाड़ी में न बैठें।
3. अपने बच्चों को अजनबियों के घर के अन्दर न जाने दें।
4. बच्चों को कहें कि किसी अजनबी से कोई खाने की चीज़ न लें।
5. उनसे नित्य की गतिविधियों का वृतान्त जरूर लें।
6. कम उम्र की बच्चियों को अपने पड़ोसी एवं सम्बन्धियों के पास न छोड़ें।
7. अपना पता व मोबाइल नम्बर किसी भी अजनबी को न दें।
8. बच्चों के घर पर अकेले होने की सूचना मोबाइल पर अथवा मौखिक रूप से किसी को न दें।

विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा

1. स्कूल प्रशासन को चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को लेने आये तो उसकी प्रामाणिकता के विषय में आश्वस्त हो लें और उसके परिजनों से बात कर लें। निश्चित व्यक्ति को ही बच्चा सौंपे।
2. बच्चों को यह समझायें कि स्कूल के मध्य अथवा अवकाश के पश्चात माता-पिता को बिना बताये किसी दोस्त, मित्र के साथ अथवा किसी निर्जन स्थान पर न जायें।
3. स्कूल जाते-आते समय यातायात के नियमों का पालन करें।
4. दो पहिया वाहन खतरनाक तरीके से न चलायें, दोस्तों के साथ होड़ न लगायें। तेज गति से गाड़ी न चलायें।
5. अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग पर ही खड़ा करें।

सुसंस्कृत घर से बड़ी कोई पाठशाला नहीं है,
सदाचारी माता–पिता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है।

6. स्कूल ले जाने वाले वाहन के चालक का सत्यापन करा लें और उसके मालिक के विषय में पूर्ण जानकारी रखें।
7. दो पहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट अवश्य पहनें।
8. बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि स्कूल जाते समय वाहन पकड़ने के लिए बस स्टाप पर दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों के साथ ही जायें तथा आते समय दोस्तों के साथ ही बस स्टाप तक जायें।
9. बच्चों को स्कूल या बस स्टाप तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ते के चयन हेतु प्रेरित करें।

स्कूली बच्चों के माता-पिता के लिए दिशा-निर्देश :-

1. अभिभावकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने बच्चों को स्कूल बस अथवा स्वयं के वाहन से विद्यालय भेजना चाहिए।
2. बच्चों से यह जानकारी प्राप्त करते रहें कि स्कूल बस के ड्राइवर तथा कंडक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत हरकत तो नहीं की जा रही, यदि कोई गलती की गई है तो इस सम्बंध में स्कूल प्रबन्धन को तत्काल सूचित करें।
3. माता-पिता को स्कूल के पैरेन्ट्स टीचर मीटिंग के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के सम्बंध में अध्यापक एवं प्रधानाचार्य से बातचीत कर समन्वय स्थापित रखना चाहिए।
4. यदि आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने व लेने के लिए स्वयं स्कूल जा रहे हों तो घर पर कोई एक सदस्य अवश्य रूके यदि ऐसा सम्भव न हो तो घर के दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक करके तथा अपने पड़ोसी को अवगत कराकर ही जायें।
5. कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने हेतु न दें।
6. माता-पिता वाहन चलाते समय स्वयं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें, जिससे कि बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

अक्सर देखने/सुनने में आया है कि बुजुर्ग माता-पिता जो बच्चों के बड़े होने एवं नौकरी/व्यवसाय में बाहर जाने के फलस्वरूप घर में अकेले रह जाते हैं, दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। बुर्जुग (वरिष्ठ) नागरिक कृपया निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखें :-

1. सामान्य दैनिक कार्य प्रणाली में भी सुरक्षा का भाव अवश्य जागृत रखें।
2. स्थानीय पुलिस कर्मी तथा बीट इंचार्ज (सब इंस्पेक्टर) के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा 100 नम्बर, कण्ट्रोल रूम व स्थानीय पुलिस थाने के फोन नम्बर सेव करके रखें।
3. अपने मकान के दरवाज़े/खिड़कियों व अन्य सम्भावित प्रवेश के रास्तों पर मज़बूत ग्रिल व कुन्डे अवश्य लगवायें।
4. आगन्तुक की पहचान हेतु "मैजिक आँख" व "दरवाजे की चेन" अवश्य लगवायें तथा बिना आश्वस्त हुए पूरा दरवाज़ा न खोलें।
5. अगर सम्भव हो तो पालतू कुत्ता रखें।
6. सुबह/शाम सैर आदि के लिए समूह में जायें तथा ताला लगाकर जायें।
7. अपने घर के पड़ोसियों से अलार्म (गुप्त संकेत) के माध्यम से सम्पर्क बनाए रखें ताकि किसी आकस्मिकता पर सहयोग मिल सके।
8. यदि सम्भव हो तो कभी भी घर में अकेले न रहें।
9. अपने घर में तथा घर के आस-पास रहने वाले व सगे संबंधियों से अच्छे संबंध बनाये रखें।
10. अपने पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध बनायें और यदि आपके पास कोई किरायेदार है तो उसका विवरण स्थानीय थाने से सत्यापित करायें।
11. अपरिचितों से सहयोग लेने में सावधानी बरतें।
12. अपरिचितों को घर के अन्दर न आने दें।
13. अपने धन व कीमती सामानों के बारे में अपने विश्वसनीय रिश्तेदारों एवं परिचितों को ही बतायें।
14. अपने बहुमूल्य दस्तावेज़ों के बारे में अपरिचित व्यक्तियों, किरायेदारों एवं रिश्तेदारों को न बतायें क्योंकि विश्वासघात हो सकता है।
15. अपरिचित लोगों से अनावश्यक रूप से मेल-जोल न बढ़ायें।

16. अपने मोबाइल में कुछ नम्बर स्पीड डायलिंग (Speed Dialling) में सेव करें ताकि आपातकाल में एक बटन दबाकर सूचना दे सकें।

17. अपना घर सुनसान जगह पर न बनवायें।

18. चौकीदार रखें, परन्तु सत्यापन के बाद।

19. घर में कम से कम नकदी व कीमती सामान रखें, शेष कीमती सामान बैंक के लाकर्स में रखें। बेहतर होगा कि ए.टी.एम. कार्ड आदि रखें।

20. बैंक का कार्य करने जाते समय अनजाने व्यक्ति का सहयोग कदापि न लें तथा नकदी को बार-बार गिनने से बचें।

21. बैंक से पैसा निकालने के बाद सीधे घर जायें और यदि हो सके तो अपने घर के नजदीकी बैंक में खाता रखें।

22. बैंक जाते समय यदि हो सके तो अकेले न जाकर घर के किसी व्यक्ति को साथ में जरूर ले जायें।

23. आपातकालीन टेलीफोन नम्बरों को सदैव अपने साथ रखें। पड़ोसियों के भी टेलीफोन नम्बर अवश्य रखें व अपने नम्बर उन्हें भी दें।

24. संदिग्ध व्यक्ति या घटना को देखने पर निकटवर्ती पुलिस चौकी/थाना/कण्ट्रोल रूम में अवश्य सूचित करें। अपने पड़ोसी को भी सूचित करें।

25. घरेलू नौकर रखते समय विशेष सतर्कता रखें, बिना प्रमाणित (परिशिष्ट-1) किये व किन्हीं दो जिम्मेदार व्यक्तियों की गारन्टी के बिना नौकर न रखें तथा रखने पर उसका पता व फोटो आदि अपने पास रखें एवं स्थानीय पुलिस से उसकी जाँच भी अवश्य करायें। अपने विश्वसनीय पड़ोसी से मधुर सम्बन्ध और बराबर आना-जाना रखें। यदि सम्भव हो तो रात को नौकर को घर से बाहर सुलायें।

26. नौकर व उसके मिलने वालों पर सतर्क दृष्टि रखें, उसके सामने कभी कीमती सामान की अलमारी, आदि न खोलें और न ही उसका अनावश्यक प्रदर्शन करें। साथ ही घर में आने-जाने वाली रकम के बारे में चर्चा न करें।

27. आस-पास मेल-मिलाप बढ़ायें तथा अलग-अलग न रहें जिससे आपके पड़ोसी आपका ध्यान रख सकें।

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में।

असामाजिक तत्वों एवं उनकी गतिविधियों से सुरक्षा

वर्तमान युग में अपराध एवं असामाजिक तत्व एक अभिशाप के रूप में प्रकट हुए हैं तथा ऐसे तत्व भले लोगों/नागरिकों को तकलीफ पहुँचाकर भयभीत करते रहते हैं। थोड़ी सी सावधानी एवं सतर्कता रखते हुए आप सुखी व सुरक्षित रह सकते हैं। निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें :—

1. मकान किराये पर देने से पहले किरायेदार के बारे में पूरी मालूमात कर लें। प्रापर्टी डीलर भी सचेत रहते हुए भली-भाँति जाँच-पड़ताल के बाद ही किराये पर मकान दिलवायें तथा यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपका मकान लेने का प्रयास कर रहा हो तो निकट के पुलिस स्टेशन या 100 नम्बर पर सूचना दें।
2. अपने पड़ोसियों के बारे में जानकारी रखें।
3. यदि अपनी कार या वाहन बेच रहें हों तो खरीदार की पहचान का फोटो सहित कोई दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की प्रतिलिपि अपने पास रख लें।
4. कार डीलर, कार विक्रेता अथवा खरीदार दोनों की पहचान सुनिश्चित कर लें क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में इनका इस्तेमाल हो सकता है।
5. लॉज/गेस्ट हाउस या होटल मालिक कमरा देने से पूर्व आगन्तुक की पहचान के दस्तावेज की यथा सम्भव जाँच कर ले, संदेह होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी सूचित करें।
6. किसी भी लावारिस हैण्ड बैग, पैकेट या अन्य संदिग्ध वस्तु के बारे में पुलिस चौकी, थाना व नियन्त्रण कक्ष को 100 नम्बर पर सूचित करें।
7. कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों एवं अपराधियों द्वारा सेना, पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की वर्दी का दुरूपयोग किया जाता है तथा जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में घुसपैठ कर सुरक्षा सम्बन्धी घटना व जनता में गलतफहमी, आतंकवादी घटना की जा सकती है। अतः इन पर एकदम विश्वास न कर पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही बात मानें तथा संदेह होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष अथवा निकट के थाना, चौकी को सूचित कर सत्यापन कर लें, असमाजिक तत्वों से चौकसी/सतर्कता एवं सावधानी रखते हुए मोर्चा लें एवं सुरक्षित रहें। अपने बहुमूल्य सुझाव 100 नम्बर पर डायल कर अथवा किसी अन्य प्रकार से नजदीकी पुलिस थाना, चौकी पर सूचना दें।

पहाड़ जैसी विपत्ति को दूर करने के लिए
सिर्फ थोड़ा सा साहस ही पर्याप्त है।

अपहरण तथा अपहरणकर्ताओं से बचाव हेतु उपाय

फिरौती हेतु अपहरण एक गम्भीर अपराध हो गया है तथा दुर्भाग्य से इस कार्य को शातिर अपराधियों के साथ-साथ युवा वर्ग द्वारा रातों-रात धनी बन जाने की लालसा में किया जाने लगा है। बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जहाँ पड़ोसी के लड़के अथवा दोस्त ने अपहरण की योजना बनायी हो। अतः इस बारे में अभिभावकों, बच्चों तथा स्कूलों के पदाधिकारियों को सतर्क रहते हुए निम्न सुरक्षा नियमों का पालन करना लाभकारी होगा —

1. बच्चों को यथासंभव स्कूल बस से भेजें।
2. यदि बच्चे टैक्सी/निजी कार/रिक्शा आदि से जाते हैं तो उनके ड्राइवरों की विश्वसनीयता को क्षेत्रीय पुलिस से जाँच अवश्य करा लें।
3. बच्चों को सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रोत्साहित करें, अपहरणकर्ताओं से सावधान रहते हुए किसी भी असामान्य घटना की सूचना तत्काल देने को कहें।
4. बच्चों को जरूरी एवं आपातकालीन टेलीफोन नं. (100 पुलिस के लिए) तथा घर/स्कूल के नम्बर याद करवायें।
5. स्कूल के अधिकारी बच्चों को स्कूल गेट पर सुरक्षित छोड़े जाने एवं ले जाना सुनिश्चित कराने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति/अध्यापक नियुक्त किया करें।
6. ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति/अध्यापक को प्रत्येक बच्चों के माता-पिता अनुरक्षक की पहचान कर ही बच्चों को सौंपने का प्रयास करना चाहिए।
7. स्कूल के क्षेत्र में ज्यादातर प्रवेश करने वाले प्रत्येक माता-पिता/अनुरक्षक के लिए स्कूल पहचान पत्र या प्रवेश पत्र जारी करना चाहिए।
8. बच्चों को स्कूल समय के दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए तथा स्कूल समय से पूर्व बच्चों को अचानक लेने जाने के लिए संदेश/सूचना की अच्छी तरह पुष्टि कर लनी चाहिए।
9. बच्चों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय पुलिस की सहायता से आयोजित कर बच्चों में सुरक्षा की भावना जागृत करना चाहिए।

10. बच्चों को निर्धारित बसों एवं स्टाप से ही भेजा जाना चाहिए तथा यथा सम्भव समूहों में ही रहना चाहिए।

11. किसी अजनबी व्यक्ति से लिफ्ट या खाने-पीने की वस्तु लेने की स्पष्ट मनाही बच्चों को होनी चाहिए।

12. अपरिचितों / परिचितों द्वारा दी गयी सूचनाओं / सुझावों पर कार्यवाही करने से पूर्व बच्चों को इसे 'क्रास चेक' करने के लिए समझायें। आप उनसे बतायें कि उन पर अमल करने से पहले अध्यापक या किसी बड़े व्यक्ति को इस बारे में अवश्य बतायें।

13. बच्चों को संदेहास्पद वाहन पर नज़र रखना चाहिए तथा उसका नम्बर नोट कर लेना चाहिए।

14. संदिग्ध प्रकृति के पड़ोसी, उसके लड़के तथा बच्चों के दोस्तों के दोस्त पर भी आप थोड़ी निगाह रखें। घर के आस-पास की किसी असहज हरकत पर अवश्य सतर्क रहें।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

सामान्य सिद्धांत :-

1. अपने यहाँ के कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन करा लें तथा उनका स्थानीय तथा स्थाई पता एवं उनके जान पहचान वाले नजदीकी रिश्तेदारों की सूची रखें व फोटोग्राफी करा लें।
2. आपके कर्मचारियों से प्रायः मिलने-जुलने आने वाले लोगों पर सतर्क दृष्टि रखें और इस तरह बार-बार आने वाले लोगों को मना करें।
3. चेक से भुगतान लेते समय सावधानी बरतें।
4. जब भी आपका कैश बैंक में जमा होने के लिए जाता है तो उसे सुरक्षित चार पहिया वाहन में ले जायें एवं अपने बैंक आने-जाने का मार्ग एक ही न रखें। रास्ता बदल-बदल कर जाने से दुर्घटना की आशंका कम हो जाती है।
5. यदि आपका कैश प्रत्येक दिन जमा हो रहा है तो अपने कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास होते हुए भी बैंक स्टेटमेंट का मिलान अवश्य करा लें। बैंक मैनेजर से सम्पर्क रखें/वार्ता करें।
6. यदि आपकी इकाई/प्रतिष्ठान के बाहर कोई दो पहिया या चार पहिया वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई पड़े तो तत्काल पुलिस से सम्पर्क कर सहयोग की माँग करें।
7. अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान पर पुलिस कण्ट्रोल रूम/स्थानीय थाना/फायर स्टेशन/एम्बुलेन्स/स्थानीय पुलिस प्रभागीय अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर की प्रिन्टेड सूची ऐसे स्थान पर चस्पा करा दें कि किसी दुर्घटना/अपराधों के कारित होने पर उसकी सूचना हो सके।
8. अपने पास के चौकी/थाने से सम्पर्क रखें ताकि किसी अनहोनी घटना के वक्त सहयोग मिल सके।
9. अपने प्रतिष्ठान के आस-पास लगने वाले पुलिस पिकेट/पुलिस कर्मियों से जान पहचान रखें ताकि किसी दुर्घटना, घटना के समय सहयोग ले सकें।
10. अपने इलाके के पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्यों की सराहना करें। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता है।
11. किसी घटना के घटित होने की दशा में सूचना देने में कदापि विलम्ब न करें।
12. अपने प्रतिष्ठानों में सी.सी.टी.वी. पर्याप्त मात्रा में उचित स्थानों पर अवश्य लगवायें।

यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जायेंगे
तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगें।

व्यवसायी वर्ग एवं अन्य संभ्रान्त नागरिकगण द्वारा नकदी लाते-ले जाते समय सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव :

लगभग सभी नागरिकों, विशेषकर व्यवसायियों, सरकारी सेवकों एवं गृहस्थों को अक्सर नकदी को बैंक से लाना या ले जाना पड़ता है तथा शातिर अपराधी मौका पाकर लूट की घटना कर देते हैं, कभी-कभी उक्त व्यक्ति घायल भी हो जाता है या जान से हाथ धो बैठता है। अतः ऐसे शातिर अपराधियों से बचाव हेतु सचेत/सतर्क रहते हुए निम्न सुझाव अपनाकर अपनी व अपने धन की सुरक्षा करें :-

1. अपना खाता नजदीक के बैंक में खोलें।
2. नकदी ले जाने और धनराशि के अदान-प्रदान सम्बन्धी बातों को गुप्त रखें।
3. बाहर से सामान्य तरह से बर्ताव करें लेकिन दिमाग चौकन्ना रखें।
4. नकदी ले जाने के लिए यथा सम्भव अपने ही वाहन का प्रयोग करें तथा चलते समय सभी दरवाज़े अवश्य लॉक रखें। नगदी लाने-जाने का मार्ग अलग-अलग रखें, परिवर्तन करते रहें।
5. समय पर सहायता के लिए मोबाइल फोन अवश्य रखें।
6. सम्भव हो तो अपने विश्वस्त सुरक्षा गार्ड, बंदूकधारी या कर्मचारी को साथ ले जायें।
7. किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा पीछा किये जाने पर सुरक्षित स्थान पर वाहन खड़ा कर शक तुरन्त दूर करें, पुलिस या आम जनता को मदद के लिए बुलायें।
8. ज्यादा मात्रा में नकदी पैदल या दुपहिया वाहन द्वारा न ले जायें।
9. बैंक आने-जाने के लिए एक ही रास्ते, समय आदि का प्रयोग न करें।
10. घ्यान बँटाने वालों से बचें। (बैंक या बैंक के पास वे ऐसे दिखावा कर सकते हैं जैसे आपकी नकदी जमीन पर गिर गई हो और आपका ध्यान बँटते ही आपकी नकदी छीन ले जायेंगे)
11. सदैव एक ही नियत तिथि और समय पर बैंक में नकदी जमा करने या निकालने से बचें।

12. बैंक कर्मियों द्वारा बैंक परिसर में संदेहास्पद व्यक्ति या गतिविधि पर नज़र रखने हेतु क्लोज सर्किट टी.वी./अलार्म लगाकर तथा बैंक में अजनबियों के प्रवेश पर प्रभावी रोक व जाँच पड़ताल की जानी चाहिए।

13. विशेष तौर पर 11 बजे से 3:30 बजे तक बैंक के बाहर खड़े वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि सुरक्षा कर्मियों द्वारा अवश्य ही रखनी चाहिए।

14. बैंक अधिकारियों द्वारा सुरक्षाकर्मी का चरित्र सत्यापन पुलिस की सहायता से करा लेना चाहिए तथा निकटवर्ती पुलिस चौकी/कंट्रोल रूम/थाना एवं उच्चाधिकारियों से टेलीफोनिक सम्पर्क रखना चाहिए।

15. यदि राशि अधिक (बड़ी) हो तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद लें।

ट्रेन/बस में सफर करते समय सुरक्षित रहने के सम्बन्ध में सुझाव

वर्तमान में ट्रेन/बसों में सफर के दौरान यात्रियों के साथ बेहोश कर लूट-पाट करने या अन्य कई प्रकार की दुर्घटनाओं की घटनायें अक्सर सुनने में आती हैं। अपराधियों का एक वर्ग इसी प्रकार के अपराधों को करता है तथ प्रायः 'भले लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। अतः यात्रा करते समय निम्न बातें अवश्य ध्यान में रखें।

1. ट्रेन/बस पकड़ने के लिए हमेशा समय से घर से निकलें ताकि जल्दबाज़ी के कारण किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से बच सकें।
2. ट्रेन/बस के पूर्ण रूप से रूकने के उपरान्त ही उसके अन्दर प्रवेश करें तथा चढ़ते समय यदि भीड़ हो तो लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी आने पर ही अन्दर प्रवेश करें, जल्दबाज़ी में किसी के साथ धक्का-मुक्की न करें।
3. यदि आप बस में खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं तो बस में लगे हैण्डरेल (रेलिंग) को पकड़े रहें, खासतौर पर जब बस खतरनाक मोड़ पर मुड़ रही हो।
4. बस के पायदान पर खड़े होकर अथवा बैठकर यात्रा न करें।
5. यात्रा के दौरान किसी अजनबी पर एकाएक विश्वास कर उसकी मीठी-मीठी बातों में न आ जायें, बल्कि सतर्कता एवं चतुराई दिखायें।
6. किसी भी सहयात्री की दी हुई खाने-पीने की वस्तु को विनम्रता से अस्वीकार कर दें।
7. अपना सामान इस प्रकार से रखें कि वह आपकी नज़रों के परिक्षेत्र में ही रहे तथा किसी सहयात्री के अचानक आपका सामान अपने पास रखने की रूचि/अनुरोध को न मान लें। यदि सामान मजबूरी में दूर रखना पड़ रहा हो तो उसे ताला/जंजीर से बांध कर रखें व सतर्क दृष्टि रखें।
8. अत्यधिक भीड़ से भरे वाहन/ट्रेन में सफर करने से बचें यहाँ आपकी जेब कट सकती है तथा सामान/आभूषण आदि की चोरी हो सकती है।

9. कुछ शातिर अपराधी आपकी आँखों के सामने अख़बार इस प्रकार से फैलाकर पढ़ने लगते हैं कि आपको अपना सामान नज़र नहीं आता और आपका ध्यान अख़बार में ही लग जाता है तथा अपराधी इस पर्दे की आड़ में आपका कीमती सामान निकाल सकते हैं। अतः इससे बचें।

10. जिस वाहन से सफर कर रहे हों, उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य नोट करें। घटना हो जाने पर 'टिकट' सुरक्षित रखें।

11. ट्रेन/बस में बहुत अधिक आभूषण पहन कर चलने से बचें तथा गाड़ी जब स्टेशन पर रूकी हुई हो तो हाथ बाहर बिल्कुल ही न निकालें।

12. किसी संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति के बारे में ट्रेन में चल रहे पुलिस स्कोर्ट अथवा स्टेशन पर रूकने पर सम्बन्धित रेलवे पुलिस को सूचित करें।

यातायात सुरक्षा

पैदल चलने वालों के लिए सामान्य निर्देश :-

1. सदैव सड़क के बायें फुटपाथ पर ही चलें।
2. जेब्रा क्रासिंग से ही सड़क पार करें।
3. यातायात स्टाप पर रूकने के पश्चात ही सड़क पार करें।
4. बाँयें-दाँयें-बाँयें देखकर ही सड़क पार करें।
5. अन्धेरे/रात्रि में पैदल चलते समय हल्के/चमकीले रंग के कपड़े पहने, जिससे यात्रा करते समय आपकी उपस्थिति दिखाई दे सके। पैदल यात्रा करते समय दोस्तों के साथ हँसी/मज़ाक तथा वार्तालाप करने से बचें।
6. नशे की हालत में पैदल न चलें, ऐसी अपरिहार्य स्थिति में बस या किराये की कैब से यात्रा करें।
7. बस से तभी उतरें, जब बस पूरी तरह रूक जाये। कभी भी बस के आगे या पीछे से सड़क पार न करें।
8. अपने बच्चों को सड़क पर अकेले न टहलने दें। जब भी आपका बच्चा टहल रहा हो तो उसे अपने मध्य में रखें तथा उसके हाथ को पकड़े रखें।
9. जहाँ ज़ेब्रा क्रासिंग न बना हो वहाँ पर सड़क पर दोनों तरफ चलने वाली यातायात को देखते हुए सड़क तभी पार करें जब सड़क पार करना पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।
10. सड़क पर चलते समय कभी भी दोस्तों से अभिवादन (नमस्कार) न करें, उन्हें फुटपाथ पर बुलाकर एक किनारे खड़े होकर ही मिलें तथा बातचीत करें।
11. बस पकड़ने के लिए मुख्य सड़क पर न आयें, सड़क पर निर्दिष्ट बस-स्टॉप पर ही रूक कर बस पर चढ़ें।
12. सड़क पर जहाँ बैरियर लगे हों वहाँ पैदल यात्रियों के लिए बने अन्तराल (रास्ते) से ही सड़क पार करें। बैरियर के ऊपर चढ़कर अथवा सड़क के मध्य से सड़क पार न करें।
13. पैदल चलते समय मोबाइल पर गेम अथवा इण्टरनेट का प्रयोग न करें।

यातायात के नियमों का सतर्कता से पालन करें।

वाहन चलाते समय क्या करें ?

1. इमरजेन्सी वाहन :- जैसे एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन जाते समय उसे निकलने के लिए मार्ग (Pass) दें।
2. रेलवे लाइन क्रास करने से पहले यदि लाल लाइट (संकेत) जल रही हो, ट्रेन की आवाज़ आ रही हो या बैरियर बंद हो तो रेलवे लाइन पार न करें।
3. सफेद और हल्के रंग के हेल्मेट का प्रयोग करें जिससे कि अन्धेरे/रात्रि में आपकी उपस्थिति दिखाई दे सके।
4. वाहन फुटपाथ पर न चलायें।
5. बाँयें-दाँयें देखकर ही सड़क पार करें।
6. यातायात के सभी चिन्हों एवं निर्देशों का पालन करें।
7. सड़क पर/चौराहों पर लेन अनुशासन का पालन करें।
8. सदैव अपनी लेन में ही चलें।
9. चौराहों पर सदैव स्टाप लाइन पर ही रूकें।
10. सड़क के बाँयीं ओर ही वाहन चलायें।
11. वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक ही वाहन का प्रयोग करें।
12. प्रदूषण मुक्त वाहन चलायें।
13. हार्न का प्रयोग आवश्यक होने पर ही करें।
14. रात्रि में चमकीले वस्त्र का प्रयोग करें।
15. गीली सड़क पर सावधानी बरतें।
16. वाहन का पंजीकरण कराने के पश्चात ही वाहन सड़क पर चलाएँ।

वाहन चलाते समय क्या न करें ?

1. बच्चों को मोटर साईकिल की तेल की टंकी पर न बिठायें।
2. मोड़ पर अचानक ब्रेक न लगाएँ।
3. हमेशा अपने बायें-दायें तथा आगे-पीछे चलने वाले वाहनों से सावधान रहें।
4. ट्रैफिक के मध्य कभी भी अचानक ब्रेक लेकर न रूकें तथा धीरे-धीरे आगे बढ़ें।
5. मोटर साईकिल को कभी भी एक हाथ से न चलायें।
6. जब आप अपनी लेन बदल रहें हों तो संकेतक (इंडीकेटर) अथवा हाथ से संकेत करें।
7. जब भी आप गाड़ी चला रहें हों तो पैदल चल रहे लोगों में से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों (हैन्डीकैप्ड), औरतों एवं बच्चों को

देखकर सावधानी पूर्वक वाहन चलायें।

8. वाहन चलाते समय वाहन पर अधिक भार न लादें, चाहे यात्री हों अथवा सामान।
9. वाहन में ऐसे शीशे न लगवायें अथवा ऐसे चश्में न पहने जिससे देखने में आपको असुविधा हो।
10. वाहन चलाते समय क्लच का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही करें।
11. अत्यधिक थके होने पर वाहन न चलायें, नींद आ रही हो तो गाड़ी को कहीं सुरक्षित स्थान पर रोक लें और आराम करने के बाद ही यात्रा करें।
12. आधी रात या भोर में लम्बी यात्रा करने से बचें।
13. बाँयें से ओवरटेक न करें।
14. नशे की हालत में वाहन न चलायें।
15. वाहन पर स्टंट न करें।
16. हेलमेट व सीटबेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
17. सामने से आने वाले वाहन की हेड लाइट की ओर न देखें।
18. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से वार्ता न करें।
19. वाहन चलाते समय धूम्रपान न करें।

जब सड़क पार करनी हो तो निम्नांकित

Six-Step Crossing Code का पालन करें :-

1. THINK (सोचें) :-
   - ❖ क्या यह स्थान सड़क पार करने के लिए सुरक्षित है ?
   - ❖ क्या मैं सड़क पर चल रही समस्त यातायात को ठीक से देख पा रहा हूँ ?
2. STOP (रूकें) :-
   - ❖ सड़क पार करने से पूर्व सड़क के किनारे ही रूककर प्रतीक्षा करें।

3&4. Look and Listen (देखें और सुनें)

- ❖ सड़क पार करने से पहले अपने बायें-दायें तथा आगे-पीछे चल रही यातायात को ध्यानपूर्वक देखें।

5. WAIT (प्रतीक्षा करें)
   - ❖ समस्त यातायात के निकल जाने एवं सड़क खाली होने तक प्रतीक्षा करें।
6. CROSS (पार करें)
   - ❖ सड़क सीधी दिशा में पार करें।

कार/वाहन सुरक्षा

क्या करें ?

1. कार को खड़ी करते समय सदैव डबल लॉक करें।
2. अपने चौकीदार को सावधान करें कि आपके वाहन को समय-समय पर चेक कर लिया करें।
3. कार/वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर शीशे पर भी खुदवा लें।
4. अपनी कार/वाहन में सिक्योरिटी अलार्म का प्रयोग करें एवम् स्टेयरिंग/गेट में भी लॉक किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. यदि चलती सड़क पर आपसे कोई सहायता माँगता है तो गाड़ी को सुरक्षित दूरी पर खड़ी करके इंजन स्टार्ट रखें तथा दरवाज़ा लॉक है, यह सुनिश्चित कर, शीशा थोड़ा सा खोलकर ही बात करें और आश्वस्त होने पर ही सहायता करें।
6. अपनी गाड़ी पर अपना कोई गुप्त पहचान चिन्ह अंकित कर लें।
7. अपनी गाड़ी में बैठने के पूर्व गाड़ी की पिछली सीट को चेक कर लें।
8. अपनी कार/वाहन को सदैव निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें।
9. अपनी गाड़ी के रेडियों व अन्य चल सम्पत्ति को चिन्हित कर लें।
10. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।
11. दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगायें, तभी वाहन चलायें।
12. चार पहिया वाहन के चालक व सवारियाँ सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें।
13. अपने वाहनों में जी.पी.आर.एस. सुविधा गोपनीय रूप से अवश्य लगवायें जिससे गाड़ी गायब होने पर ट्रैक की जा सके।
14. सर्विसिंग, मरम्मत के दौरान ध्यान रखें कि गाड़ी की डुप्लिकेट चाबी न बनने पाये।
15. किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना पुलिस को अवश्य दें।

क्या न करें ?

1. अपने घर में भी गाड़ी को बिना लॉक किये न छोड़ें।
2. कार की चाबी इग्निशन में लगी हुई कभी न छोड़ें।
3. अपनी कार में कभी कोई कीमती सामान न छोड़ें।
4. अपनी कार में ऐसे उपकरण न लगवायें जो चोरों का ध्यान आकर्षित करे।
5. कार के अन्दर कार की डुप्लीकेट चाबी न छोड़ें।
6. अपनी कार किसी अजनबी को अपरिहार्य परिस्थितियों में भी न दें।
7. अपनी कार को अँधेरे स्थानों पर पार्क न करें।

जहाँ बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता है,
वहाँ बल प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता

अग्नि से सुरक्षा

(नागरिकों के लिए अग्नि-निरोधक और अग्नि-शामक सिद्धांत)

1. बिस्तर में लेटकर, सिगरेट-बीड़ी का प्रयोग मत कीजिए।
2. बिना बुझाये हुए बीड़ी, सिगरेट के टुकड़ों को लापरवाही से इधर-उधर मत फेंकिए, ये आपके भयंकर दुश्मन हैं।
3. दियासलाई अबोध बालकों से दूर रखें।
4. भोजन बनाने के पश्चात् चूल्हे के ईंधन को पूर्ण रूप से बुझाकर रखिये।
5. भोजन बनाते समय अपने शरीर के कपड़ों का प्रयोग चूल्हों पर चढ़े बर्तनों को उतारने में न करें। अपने ढीले-ढाले आँचल को भोजन बनाते समय बाँध कर रखें।
6. चूल्हे व स्टोव की आग की लपटों से बचाकर रखें। भोजन बनाने में काम आने वाली वस्तुएँ चूल्हे की पिछली तरफ न रखें।
7. जलते हुए स्टोव व लालटेन में मिट्टी का तेल न भरें।
8. मोमबत्ती, चिराग, अँगीठी का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें।
9. बच्चों को सुझाव दें कि त्यौहार के अवसर पर घर के बाहर या सुरक्षित स्थान पर ही पटाखों को सावधानीपूर्वक छुड़ायें। बच्चे यदि छोटे हैं तो बड़े उपस्थित रहें। अच्छा होगा यदि एक बाल्टी पानी बचाव के लिए भरकर रख लें।
10. घर में बिजली के कटे-फटे तारों को तुरन्त बदलवा लें या मरम्मत करा लें। सही ढंग का फ्यूज लगाएँ व एक ही प्लग पर कई यंत्र न लगायें।
11. कार्यालय व घरों के विद्युत स्टोव, आइरन प्रेस का प्रयोग करने के पश्चात् प्लग निकाल कर तभी हटें।
12. बिजली के अवैध कनेक्शन का प्रयोग न करें, यह असुरक्षित है।
13. कुकिंग गैस सिलेण्डर में तनिक भी लीकेज का आभात होते ही पास-पड़ोसी की अन्य अँगीठियों व जलती हुई बीड़ी-सिगरेट को तुरन्त बुझा दें। जब तक घर का वायुमण्डल शुद्ध न हो जाये, दियासलाई मत जलायें। लीक करने वाले सिलेण्डरों को तुरन्त घर के बाहर खुले स्थान पर निकाल कर रख दें।

14. रात्रि में सोने से पहले गैस सिलेण्डर का वाल्व बन्द करना मत भूलें।
15. गैस का रबड़ पाइप अधिक पुराना होने पर इसे बदलवा दें।
16. जलाने से पहले सुनिश्चित करें कि गैस की गंध नहीं आ रही है।
17. एक ही कमरे में गैस का चूल्हा, अँगीठी और बिजली का हीटर एक साथ मत जलाइये।
18. गैस का सिलेण्डर सदैव खड़ा रखें।
19. अपने मकानों, दुकानों और कारखानों में कुछ अग्निशमन यंत्र अवश्य रखिये और उसके प्रयोग विधि की जानकारी प्राप्त करिये। इस विषय पर अपने क्षेत्र के अग्निशमन अधिकारी से मदद लीजिए।
20. आग लगने पर फायर ब्रिगेड को 101 पर टेलीफोन करके अवश्य बुलवायें, इसकी सेवायें हर समय निःशुल्क उपलब्ध हैं।
21. आग लगने पर शोर मचाकर मकान के सभी लोगों को आगाह कीजिए ताकि वे निकलकर बाहर आ सकें।
22. अपने क्षेत्र के फायर ब्रिगेड का टेलीफोन नं० याद कर लें। पुलिस थाने पर भी आग की सूचना दी जा सकती है।
23. सूचना देते समय घबरायें नहीं, शान्ति के साथ पूरा पता बतायें।
24. सूचना देने के पश्चात् मेन रोड पर फायर ब्रिगेड की प्रतीक्षा करें।
25. फायर ब्रिगेड के घंटे/सायरन की आवाज़ सुनकर रास्ता छोड़ दीजिए ताकि घटना स्थल पर वह जल्दी से पुहँचे।
26. दुकान बन्द करते समय मुख्य स्विच बन्द कर दें जिससे शार्ट सर्किट न हो।
27. फायर ब्रिगेड के आने पर उसकी सहायता कीजिए। बेकार भीड़ न लगायें।
28. फायर ब्रिगेड के पहुँचने पर हर सम्भव उपाय से आग बुझाने की कोशिश कीजिए।
29. घी, तेल व पेट्रोलियम पदार्थों की आग पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करें, फोम उपलब्ध न होने पर बालू, मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास करें।
30. बिजली की आग होने पर प्रथम मेन स्विच ऑफ कीजिए तत्पश्चात

सी.ओ.टू. या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर अथवा सूखी मिट्टी और बालू से बुझाइये।

31. अपने कपड़ों में आग लगने पर भागिये नहीं, हो सके तो कम्बल लपेटिये या ज़मीन पर लेटकर लुढ़किये।

32. आग से घिर जाने पर खिड़की, दरवाज़ों आदि पर जाकर शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कीजिए। भारी चीज़ मेज़, अलमारी आदि से रस्सी या कपड़ा बांधकर उसके सहारे उतरने की कोशिश कीजिए।

33. आग को फैलने से रोकने के लिए मकान छोड़ देने के पश्चात् फायर ब्रिगेड आने तक दरवाज़े और खिड़कियों को बन्द कीजिए।

34. आग लगने के दौरान यदि धुआँ अधिक हो तो बैठ जायें अथवा लेट जायें, जिससे श्वाँस लेने में कठिनाई कम हो।

35. जैसे ही फायर अलार्म बजे, तत्काल सावधानीपूर्वक बिल्डिंग को खाली कर दें।

36. बिल्डिंग में कोई भी अलार्म बजे तो उसको गम्भीरता से लें, यह न समझें कि यह टेस्ट है या कोई मज़ाक कर रहा है।

37. आग लगने के दौरान बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग न करें, हमेशा सीढ़ियों से उतरें।

38. आग लगने के दौरान घर में रखे हुए सामान को बाहर निकालने में समय बरबाद न करें। शीघ्रातिशीघ्र सभी के साथ बाहर निकल जायें।

39. कृपया आग लगने पर निम्नलिखित टेलीफोन नम्बर पर सूचना दें:—

1.	मार्डन कण्ट्रोल रूम	100
2.	फायर सर्विस हेल्पलाइन	101
3.	एम्बुलेन्स सेवा	108

भूकम्प से सुरक्षा के उपाय

भूकम्प से पहले सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानियाँ

1. पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों को मजबूती प्रदान करने हेतु विशेषज्ञ से राय प्राप्त कर मरम्मत का कार्य करा लें।
2. 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवन एवं बहुमंज़िलें भवनों का निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मानकों के अनुरूप भूकम्परोधी डिजाइन कराते हुए निर्मित करायें।
3. 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों के निर्माण में भी भूकम्परोधी निर्माण को प्राथमिकता देते हुए, सिविल इंजीनियर से परामर्श प्राप्त कर निर्माण कार्य में कार्नर स्टील, प्लिन्थ बेन्ड, लिन्टल बेन्ड, दीवारों एवं जीने की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए निर्माण करायें।
4. भवनों में भारी बड़े आकार की सामग्री नीचे की शेल्फ में रखें जबकि हल्का सामान ऊपरी शेल्फ में रखें।
5. लटकने वाली भारी वस्तुएँ यथा पिक्चर, मिरर इत्यादि सोने एवं बैठने के स्थान से दूर रखें।
6. पुराने भवनों की मरम्मत कराते समय इलेक्ट्रिक वायरिंग एवं गैस की पाइप लाईनों का परीक्षण कराकर वाँछित मरम्मत का कार्य करायें।
7. भूकम्प की स्थिति में बचाव हेतु अन्दर व बाहर सुरक्षित स्थान पूर्व में ही चिन्हित कर लिए जाए।
8. महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों यथा डाक्टर, हॉस्पिटल व पुलिस आदि की जानकारी रखें।
9. अपने परिवार के सदस्यों को खतरे की स्थिति में बचाव के उपायों से अवगत करायें।

भूकम्प आने की स्थिति में बचाव के उपाय

1. भूकम्प आने की स्थिति में सम्भावित सुरक्षित/खुले स्थान पर शरण लें।
2. भूकम्प के समय भवन में होने की स्थिति में डायनिंग टेबिल, स्टडी टेबिल अथवा पलंग एवं अन्य भारी फर्नीचर के नीचे शरण लें तथा भवन के कम्पन बन्द होने की स्थिति में तुरन्त भवन से बाहर आ जायें।

3. यदि भवन में उपयुक्त स्थल न हो तो, अपना चेहरा व सिर हाथों से ढक लें और भवन के आन्तरिक कार्नर में झुककर बैठ जायें। भवन की बाहरी दीवारों के निकट न खड़े हों।

4. भूकम्प के दौरान लिफ्ट का प्रयोग न करें।

5. भूकम्प की स्थिति में भवनों से बाहर होने की दशा में भवन, वृक्ष, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य प्रकार की वायरिंग व स्ट्रक्चर आदि से दूर खड़े हो जायें तथा भूकम्प से खिड़कियों के काँच व अन्य गिरने वाली वस्तुओं से दूर रहें।

6. यदि वाहन से यात्रा कर रहे हों तो वाहन को खुले स्थान पर रोक लें तथा भूकम्प से क्षतिग्रस्त होने वाली सम्भावित स्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड, रैम्प आदि का प्रयोग न करें।

7. घबरायें नहीं, अफवाह न फैलायें।

साइबर अपराध से बचाव एवं सुरक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास तथा सोशल मीडिया पर सक्रियता के कारण जानकारी के अभाव में जनता के आम लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देकर व जागरूकता से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है।

1. अपने लैपटाप, कम्प्यूटर, मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छी किस्म के एंटी वायरस का प्रयोग करें तथा उसे अपडेट रखें।
2. अपने लैपटाप/कम्प्यूटर/मोबाइल का पासवर्ड व लागिन डिटेल्स को समय-समय पर परिवर्तित करते रहें।
3. सोशल नेटवर्किंग साइट (फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स ऐप, यू-ट्यूब, एम. एस.एन. आदि) को गोपनीय रखें।
4. अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन, इनकोडिंग का प्रयोग करें।
5. अपनी व्यक्तिगत सूचना कभी भी ऑनलाइन शेयर न करें।
6. किसी अपरिचित वेबसाइट पर अपने बारे में कोई भी विवरण अंकित न करें।
7. ऑनलाइन किसी से वाद-विवाद (Argue) न करें।
8. किसी से अपना पासवर्ड/पिन नम्बर शेयर न करें।
9. अजनबियों की बातों का कभी भी ऑनलाइन उत्तर न दें।
10. अपने मोबाइल में पासवर्ड, पिन नम्बर, एकाउन्ट नम्बर, घर का पता सेव न करें।
11. किसी भी अजनबी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक न करें तथा कभी भी अजनबी आये हुए मेल का प्रतिउत्तर न दें।
12. फ्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग कतई न करें।
13. बिना परखे अपने कम्प्यूटर पर फ्री टूल्स एप्लीकेशन डाउनलोड न करें।
14. फेसबुक प्रोफाइल पर अपनी पूरी जानकारी शेयर न करें।
15. अपरिचित फ्रेन्ड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें।
16. अपने फेसबुक पर गलत तथ्य अंकित न करें तथा किसी के चरित्र पर टिप्पणी न करें।

17. राष्ट्र व धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश पोस्ट न करें।
18. अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पिन और उस पर लिखा हुआ नम्बर किसी को न दें।
19. फोन पर किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जन्मतिथि, क्रेडिट कार्ड आदि का नम्बर न बतायें।
20. बैंक को टेलीफोन से उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
21. विश्वसनीय साइबर कैफे का ही उपयोग करें।
22. किसी प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने पर अपने थाने को लिखित सूचना दें।
23. सुरक्षित पासवर्ड का प्रयोग करें और इसे प्रायः बदलते रहें।
24. पासवर्ड किसी से साझा न करें।
25. इण्टरनेट पर काम करने के उपरान्त लॉग आउट अवश्य करें।
26. लालच से बचें, फ्रॉड करने वाले इण्टरनेट पर तमाम स्कीमों का प्रलोभन देते रहते हैं।
27. अज्ञात स्पैम व मैसेज का जवाब न दें।

ऑनलाइन-शॉपिंग के समय निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. ऑनलाइन—शॉपिंग के लिए प्रतिष्ठित वेबसाइट के अलावा अन्जान वेबसाइट को चुनने से बचें।
2. वेबसाइट पर सम्बन्धित कम्पनी के नियम व शर्तें ज़रूर पढ़ें।
3. वेबसाइट पर कम्पनी का पता, नम्बर व ई—मेल एड्रेस ज़रूर देखें।
4. वेबसाइट के एड्रेस में एच.टी.टी.पी. (हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकाल) व हरे रंग का ताला बना ज़रूर देखें।
5. कम्पनी द्वारा भेजे गये एस.एम.एस. व प्रोडक्ट की डिटेल को संभालकर रखें।
6. ऑनलाइन—शॉपिंग व बैंकिंग केवल सुरक्षित एवं एण्टीवायरस वाले कम्प्यूटर से ही करें।
7. जब भी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर खाते से बदलें तो उसकी लिखित सूचना बैंक को ज़रूर दें।
8. ऑनलाइन एकाउण्ट का पासवर्ड जल्दी—जल्दी बदलते रहें।
9. पासवर्ड में कैपिटल व स्माल लेटर के साथ ही सिम्बल का प्रयोग ज़रूर करें।
10. पासवर्ड बेहद आसान न बनाएँ।

SAFETY IN CYBER SPACE

Caution in the use of Mobile, Internet, email, Social Networking Sites and Online Banking

Dr. Aravind Chaturvedi
Addl SP, UP STF
TC-33 V-2, Vibhuti Khand, Gomtinagar
Lucknow-226010
Mob.: +91 9838503310, +91 9454401826
ac@upstf.com
aravindchat@gmail.com

Cyber Space spread over information Highway which in turn, is made up of 2 major components

1. **Telephone Network**
   a. Landline Phone
   b. Mobile Phone
   c. Satellite Phone
2. **Computer Network**
   a. LAN Local Area Network
   b. WAN Wide Area Network
   c. Internet Worldwide Network-governed by INTERNET SOCIETY ISOC

While driving on a road, you protect yourself by using helmet, seat-belt, lane driving, following speed restrictions etc, similarly you need to follow apt safety measures when you are on the information Highway. In case of the former, you first learn to drive whatever vehicle you intend to use, but in case of the latter, the process of learning is either very informal or completely bypassed. It helps criminals in cyber space to thrive on account of the user's ignorance.

Hypnotism is the most vital factor to lure a victim into any fraud net in physical as well as Cyber world. It is further facilitated by greed, a very pressing human factor.

The studies in the field of cyber crimes have revealed that broadly there are 4 reasons for committing such a crime :

- To **tease/ mischief/ disrupt**
  - Normal to anti-national
- To **harm the character/reputation**
  - Most common with girls, top management in companies/banks
- To **harm professional rivals**
  - Corporate companies, individuals
- To **gain money**
  - ATM/Credit Card, Online banking, Nigerian fraud/ placement/tower/phone calls/SMS, latest matrimony, research paper **like IED** with an element of surprise.

IT ACT 2001 WITH AMENDMENTS IN 2009 : DETAILED LAW TO HANDLE CYBERCRIMES IN INDIA

MOBILE SAFETY TIPS

1. Keep your phone with you at all times.
2. Don't lend your phone to someone you don't know or trust.
3. Most phones allow you to lock your phone with a code. If you don't have the code, you can't unlock it, so if anyone steals your phone he won't be able to use it.
4. If you have Bluetooth on your phone, keep this switched off when you are not using it.
5. Keep your WIFI Off on a smartphone and also don't connect to PUBLIC WIFI-HOTSPOT in public places.
6. If using Smart phones like Android, Blackberry, Apple IPHONE, keep GPS disabled with Social Networking Sites and in Camera Settings, keep GEO TAGGING DISABLED as it has a threat of sharing your location public domain.
7. Don't download unauthenticated applications from market.
8. Don't reply or call back or unidentified numbers specially 4, 7, 11 or 13 digit numbers even coming as missed call. When you call back, you may be charged on very high tariff. It is called Premium Number Calling fraud.
9. Don't reply to SMS with luring or tempting offers of Prize Winning or Award Winning.
10. Whenever give your handset for repair or maintenance, always remove memory card, sim card, battery and then give. Transfer all your personal information from phone memory to memory card before giving it.
11. Kids should always give their parents number in public places, don't share your personal number.
12. Don't store personal/intimate pictures in your mobile phones because if stolen or dropped, then can be very vulnerable.

SMART SURFING

1. Always use Genuine Operating System, Antivirus/Internet Security Software, regularly updated with Internet.
2. The Browser should be kept free from toolbars which get automatically installed on your browser.
3. Never save your passwords on your browsers and Instant Messengers like Yahoo, Google, Skype etc.
4. Keep your browser's temporary cache, cookies clear regular basis.
5. While browsing, don't install shortcuts and tools from pop ups and ads.

6. Don't download pirated stuff from untrusted sites Music, Videos, Free Softwares.
7. Always install software's available at the parent sites.
8. Don't click on suspicious links/hyperlinks which luring and tempting.

EMAIL SECURITY

1. Keep your passwords more than 8 characters alphanumeric and special characters also using and Lower case. Eg. ArAvind@#35
2. Never keep same passwords for all your accounts.
3. Security Question, Mobile SMS Alert, Secondary Address should be enabled.
4. Always login the site on Public networks/WIFI/HTTPS.
5. Avoid using FREE WIFI Access at public places.
6. Don't click on SPAMS/Junk Mail.
7. Never share your email password with anyone.
8. Whenever you need to forward an email to more than one person use the BCC option to write addresses.
9. If you are unable to access your email account immediately report it to the Mail Service Provider give you an option of forgot password/Account ..... etc.

Social Networks/Chats

1. Never post your personal/Contact information social networking sites.
2. Don't publish your pictures/family pictures on the media in public domain.
3. Use the Privacy settings/security settings of the wisely before you start using the service.
4. Don't Flirt/Make anonymous friends or share pictures/ Webcam with them.
5. In case you are Cyber Bullyed/Cyber immediately report to the service provider of the nearest Cyber Cell (Police Station)
6. Never update your whereabouts on the social media. Like your current location etc.
7. Don't Add unknown friends to your account. Keep your Privacy options secured for FRIENDS ONLY. Immediately block unknown friends from your Profile.
8. Don't click on suspicious posts and Ads appearing on social media. A lots of SPAM Links, luring and tempting with FALSE

Information can appear on your account. DON'T Click on them and immediately report it as SPAM. For Eg.

a. GET YOUR MOBILE RECHARGED FREE.....
b. SEE WHO VISITED YOUR PROFILE.....
c. YOU ARE TAGGED IN A VIDEO...WATCH THE VIDEO...
d. ACCOUNT GETTING SLOW VERIFY YOUR ACCOUNT WITH YOUR USER ID AND PASSWORD....etc...

Tips for Facebook Security

- Only Friend people you know.
- Create a good password and use it only for Facebook.
- Don't share your password.
- Change your password on a regular basis.
- Log into Facebook only ONCE each session. It it looks like Facebook is asking you to log in a second time, skip the links and directly type www.facebook.com into your browser address bar.
- Use a one-time password (OTP) when using someone else's computer. Log out of Facebook after using someone else's computer.
- Beware of "goofy" posts from anyone, even from Friends. It it looks like something your Friend wouldn't post, don't click on it. Scammers might hack your Friends' accounts and send links from their accounts.

PREVENT E-FRAUDS

1. While using online Shopping/Banking facility on your Internet, always USE THE VIRTUAL KEYBOARD to enter sensitive details.
2. Whenever you use Online Shopping/Banking, do it from a PC which is secured with genuine OS and Antivirus.
3. Don't use public networks and public places to do Online Shopping/Banking.
4. Don't Share your Banking Passwords with anyone.
5. Never give your Banking Passwords/Credit Card Details on phone, SMS or Emails.
6. Whenever using your CARD for shopping, get it swiped in front of your eyes.
7. Erase the CVV Code from the back side of your card and remember by heart.
8. Always keep your CARD Signed before you start using it.
9. At ATM Counters, be careful of cheats.

Don't leave your Transaction Slip at the dustbin.

Just be careful of nobody standing behind you and watching you.

Leave the ATM Counter when the machine is completely logged off.

Don't entertain unsolicited help at the ATM

10. Lots of FAKE EMAILS posing them to be from the bank asking you to verify your account due to security reasons. DON'T CLICK ON SUCH EMAILS.
11. Emails with luring awards/Lottery/Business Opportunity/JOB Opportunity asking you to deposit money to claim are all FAKE/FRAUD.
12. Emails claiming for online INCOME TAX REFUND are all fake/fraud.
13. SMS on mobile for awards/lottery/winning alerts are FAKE/FRAUD.
14. While doing Online Shopping/Banking always check the DOMAIN (URL) you are working on. It should have HTTPS and PADLOCK. The URL should be of the parent site you are working on.
15. ACTIVITY SMS ALERT Facility on all your Cards and Accounts. Whenever you change your registered Mobile Number, DO intimate to the concerned BANK in writing.
16. **NEVER SHARE YOUR OTP ON ANY PRETEXT.**

If you fall prey to any fraud net, you must lodge a complaint with your **Police Station** or

Cyber Cell, Lucknow,
3, Valmiki Marg,
Hazratganj, Lucknow-226001
Tel.: 0522-2625143
Email: cybercelllucknow@nic.in
Website : http://cybercrimecelllucknow.org

आतंकवाद

क्या करें :-

1. कोई भी संदिग्ध पत्र या पार्सल देखें तो पुलिस को तत्काल सूचित करें।
2. किसी भी अजनबी व्यक्ति द्वारा बिना किसी औचित्य के वीडियों रिकार्डिंग, फोटोग्राफ, मानचित्र, दूरबीन आदि का प्रयोग किया जा रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
3. किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा फोन, मेल और ई-मेल के माध्यम से किसी घटना और वहाँ कार्य करने वाले लोगों के बारे में संदेहपूर्ण तरीके से जानकारी माँगी जाये तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
4. किसी व्यक्ति के पास अवैध वस्तु जैसे-विस्फोटक पदार्थ, शस्त्र, कारतूस, खतरनाक रसायन, वर्दी, बिल्ले (Badges), फ्लाईट की समय सारणी आदि रखने की सूचना आपको मिले या देखें तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
5. अपने आस-पास, कार्यस्थल (Work place), अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोई संदिग्ध गतिविधि करता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
6. यदि आपको किसी भीड़-भाड़ वाले स्थल पर कोई लावारिस वाहन, बैग, टिफिन आदि दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
7. आतंकवाद के बारे में पढ़े व उसे समझे तथा किसी भी आपातकालीन घटना हेतु एक प्लान अवश्य तैयार रखें।
8. अपने मोहल्ले में अजनबी लोगों के किसी स्थान पर एक समूह में रहने तथा उनके पास आने-जाने वाले लोगों एवं उनकी क्रियाकलाप पारदर्शी / सामान्य न दिखने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें।

यदि विस्फोट की कोई घटना हो :-

1. किसी भारी फर्नीचर को कवर के रूप में प्रयोग करें अथवा किसी भी आपातकाल की स्थिति में भवन खाली करें।
2. खिड़कियों से दूर रहें।
3. माचिस की तीली, लाइटर का प्रयोग न करें।
4. घटना स्थल से सुरक्षित दूरी पर किसी सुरक्षित स्थान पर जायें।
5. सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग न करें।

6. आपात काल नम्बर 100 डायल करें।

यदि बम विस्फोट की धमकी मिले :-

1. शान्त रहें तथा शान्त आवाज़ में बात करें।
2. कृपया दिये जा रहे विवरण पर सूक्ष्मता से ध्यान दें। धमकी देने वाले व्यक्ति से अधिक से अधिक सूचना लेने का प्रयास करें।

नोट्स ले तथा पूछें :-

- विस्फोट कब होगा ?
- बम इस समय कहाँ पर लगा है ?
- यह कैसा दिखता है ?
- यह किस प्रकार का बम है ?
- क्या आपने बम लगा दिया है ?
- आपका टारगेट कौन है ?
- आप बम क्यों लगाना चाहते हैं ?
- आपका नाम क्या है ?
- आपका पता क्या है ?

3. बात करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को ध्यान से सुने तथा नोट करें :

- इसके भाषण का अन्दाज़ (उच्चारण, ध्वनि)
- इसकी मानसिक दशा (क्रोधित, शान्त, चिंतित इत्यादि)
- बैक ग्राउण्ड ध्वनि (यातायात, पार्किंग, संगीत इत्यादि)
- काल करने की तिथि व समय
- किस प्रकार से धमकी दी गयी (पत्र, नोट्स, टेलीफोन)

किसी भी ऐसी सूचना मिलने पर :-

1. किसी संदिग्ध वस्तु को न छुऐं।
2. अपने साथ व्यक्तिगत सामान लें।
3. दरवाज़ा खिड़की खोल दें।
4. लाइट को ऑन या ऑफ न करें।
5. किसी भी पैकेट को न खोलें तथा न ही छेद करके देखें।
6. किसी धातु की चीज़ को पैकेट के अन्दर न ले जायें।
7. पैकेट पर कोई प्रकाश न डालें।

8. इसको किसी तार इत्यादि से न काटें।
9. हाथ से इसे मत खोलें।
10. किसी भी ऐसी वस्तु के चारो ओर रेत की बोरी रखें।
11. पुलिस का आपात काल नम्बर डायल करें तथा स्थिति से अवगत करायें।

आतंकवादियों द्वारा लगातार फायरिंग की स्थिति में :-

1. सर्वप्रथम बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित करें।
2. ज़मीन पर पेट के बल लेट जायें।
3. आतंकवादियों से विपरीत दिशा में सुरक्षित रास्ता खोजें।
4. रास्ता मिलने पर रेंगकर अथवा झुककर निकलें।
5. 100 नम्बर डायल करें। संयम रखें तथा पुलिस कण्ट्रोल रूम को धीमी आवाज़ में आतंकवादियों की दिशा, पहनावा, शस्त्रों, भाषा आदि के विषय में बतायें।

क्या न करें :-

1. एअरपोर्ट या फ्लाइट में किसी अजनबी व्यक्ति से बातचीत न करें।
2. किसी भी अज्ञात पार्सल, बैग, टिफिन एवं गिफ्ट को स्वयं न उठायें और न ही उसे खोलें।

आप मदद कर सकते हैं :-

यदि आप स्कूल प्रबंधक हैं :-

1. विद्यालय में उच्चतर कक्षा के छात्रों के विद्यालय में प्रवेश करते समय उनके परिचय पत्र को अवश्य ही देखा जाये, जिससे कि यूनीफार्म की आड़ में कोई अवांछनीय तत्व विद्यालय में प्रवेश न कर सके।
2. विद्यालय के प्रवेश तथा निकास द्वार पर गार्डस् एवं अध्यापक को लगाया जाए जो प्रवेश एवं निकास के समय आने-जाने वाले बच्चों तथा अन्य लोगों पर सतर्क दृष्टि रखें।
3. विद्यालय के प्रवेश द्वार, निकास द्वार तथा परिसर के चारों दिशा में उचित स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें, उनकी सतत निगरानी करें एवं किसी संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दिखायी देने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें तथा पुलिस के पहुँचने तक अपने स्तर से भी

पूर्ण सजगता एवं सतर्कता बरतें।

4. विद्यालय के समस्त अध्यापक, ऑफिशियल वर्कर, साफ-सफाई में लगे कर्मचारियों तथा सुरक्षा गार्डस् आदि को आतंकी खतरों के प्रति सतर्क एवं सजग रहने हेतु विद्यालय प्रबन्धन भी अपने स्तर से सुरक्षा उपायों के सन्दर्भ में समय–समय पर बताता रहे।

यदि आप कार डीलर हैं :-

कार विक्रेता व खरीदार दोनों की पहचान सुनिश्चित कर लें। विशेषकर उस खरीदार के बारे में जो अपने क्षेत्र में बाहर का रहने वाला हो। पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज़ों को जरूर देखें और उनकी फोटो कापी अपने पास रख लें। कार, जीप या किसी मोटरसाइकिल की खरीद-फरोख्त में विशेष ध्यान रखें क्योंकि आतंकवादी वारदातों में इनका इस्तेमाल होने की सम्भावना अधिक रहती है।

यदि आप मकान मालिक या प्रापर्टी डीलर हैं :-

किरायेदारों के बारे में भली-भाँति जाँच पड़ताल कर लें। ऐसा किये बिना अपना मकान किराये पर न दें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मकान किराये पर लेने का प्रयास कर रहा हो तो अपने निकट के पुलिस स्टेशन या 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दें।

यदि आप किसी गेस्ट हाउस, लॉज या होटल के मालिक हैं :-

कमरा देने से पूर्व आगंतुक की पहचान के दस्तावेज़ की जाँच कर लें। संदेह होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा 100 नंबर पर सूचित करें। आप भी मदद कर सकते हैं। आई.डी. प्रूफ की सत्यापित प्रति रखें।

अपने आस-पास किसी भी संदिग्ध और लावारिस वस्तु जैसे हैंडबैग, पैकेट और ऐसा ही अन्य सामान या कोई भी संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को 100 नम्बर पर सूचित करें।

संदिग्ध वाहन की पहचान कैसे करें ?

- ❖ वाहन की अगली व पिछली नम्बर प्लेट में सुधार किया गया हो या वे अलग-अलग तरह की हो।
- ❖ किसी मुख्य स्थल या 'नो पार्किंग' में लम्बे समय से कोई वाहन खड़ा दिखे।
- ❖ वाहन का पिछला हिस्सा असामान्य रूप से झुका हुआ हो।

यदि आपको कोई संदेह हो :-

- ❖ यथासम्भव मोबाइल से फोटो / वीडियो बना लें।
- ❖ 100 नम्बर पर टेलीफोन कर पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति या वाहन के बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी दें।
- ❖ टेलीफोन पर सूचना देते समय उस व्यक्ति या वाहन पर लगातार निगरानी रखें। पुलिस पहुँचने तक इंतज़ार करें।

आपराधिक घटना के तुरन्त बाद क्या करें ?

यदि पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुँची हो तो 100 नंबर पर पुलिस को तत्काल सुचित करें। पुलिस एवं बचाव दल के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

- ❖ भीड़ न करें, न ही भीड़ में शामिल हों।
- ❖ तत्काल घटनास्थल से दूर चले जायें, वहाँ और भी विस्फोटक सामग्री हो सकती है।
- ❖ पुलिस व बचाव दल के वाहनों के मार्ग को अवरूद्ध न करें।
- ❖ चौकस रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के बारे में पुलिस को तुरन्त सुचित करें।
- ❖ यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना है जिसकी मदद से संदिग्ध आतंकवादियों या उनके द्वारा इस्तेमाल किये वाहनों को ढूँढ़ा जा सके तो पुलिस को तुरन्त बतायें।

ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी कुछ सुझाव

1. किसी विवाह अथवा अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर जब काफी रिश्तेदार विशेषकर महिलायें एकत्रित हों, विशेष सतर्कता रखना आवश्यक है। महिलाओं को चाहिए कि सामान्य से अधिक आभूषण/जेवरात आदि का प्रदर्शन न करें तथा कम ही जेवर पहनें, जिससे अपराधी जो परिचित भी हो सकते हैं, अपराध के लिए प्रेरित न हो जायें।
2. वैवाहिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखें, विशेषकर—महिलाओं को घर के अन्दर ही रखा जाये तथा उस तरफ आने-जाने वाले पर विशेष सतर्कता रखी जाये।
3. रात में कार्यक्रम या विवाह वाले घरों में बारी-बारी से विश्वस्त व्यक्तियों को भी सतर्कता रखने तथा समस्या पड़ने पर सहायता करने हेतु अनुरोध करके रखें।
4. अनजान छोटे बच्चों पर नज़र रखें, उनके बारे में पूछताछ करें।
5. प्रत्येक गाँव/कस्बे में ग्रामीण सुरक्षा-समिति का गठन अवश्य करें तथा स्थानीय पुलिस की सहायता से सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठी एवं विचारों का आदान-प्रदान करते रहें। युवा, उत्साही एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को इस समिति का सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करें।
6. ग्राम चौकीदार से सम्पर्क रखते हुए उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी लेते रहें तथा उसे उसके मूल दायित्वों का बोध भी करा दें।
7. स्थानीय पुलिस चौकी/थाने से निकट का सम्पर्क रखते हुए उनके नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर ज्ञात कर सभी को वितरित कर दें तथा उनके गश्ती दल का कार्यक्रम भी मालूम कर उनसे ताल-मेल रखकर अपने व अपने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
8. गाँव के असामाजिक तत्वों, शराबियों, जुआरियों अथवा आँवारा तत्वों की जानकारी रखें तथा उनके साथ अजनबी तत्वों के आवागमन पर विशेष सतर्कता रखें तथा गोपनीय सूचना पुलिस को दें।
9. सुरक्षा की भावना को यदि हम अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं सुरक्षित रहते हुए अपनी, अपने परिवार व समाज एवं देश की रक्षा कर सकेंगे।
10. पुलिस परिवार को अपना समझें तथा परस्पर विश्वास स्थापित कर समाज में सुरक्षित एवं सुखद वातावरण स्थापित करें।

पढ़ने योग्य लिखा जाये,
इससे लाख गुना बेहतर यह है कि लिखने योग्य किया जाये।

कुछ नियम हम सभी के लिए

1. (1) चरित्र निर्माण वंशानुगत व आस-पास के माहौल से होता (Characters are formed Genetically or by the Atmosphere) है।

   (2) अतः हम सभी को स्वयं अपना व अपने बच्चों के चरित्र निर्माण व स्वअनुशासन (Self Discipline) हेतु सजग व प्रयासरत रहना चाहिऐ।

   (3) हमें नित्य प्रति अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिऐ, जिससे उनकी देह भाषा (Body Language) व शारीरिक, मानसिक स्थिति का सूक्ष्मतम् (Minute) अंदाजा लग सके।

   (4) बच्चों से उनके कॉलेज/कार्यक्षेत्र आदि के बारे में अनौपचारिक रूप से जानकारी ली जानी चाहिए, और उन्हें अधिक बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे यदि उनके अंदर कोई अपराध बोध (Guilt Consiousness) या कुँठा (Frustration) आदि पनप रही हो तो, ज्ञात हो सके।

   (5) बच्चों को अच्छा साहित्य, संगीत व चरित्र निर्माण संबंधी साहित्य (Literature) व संसाधन (Material) उपलब्ध कराते हुए उनमें अच्छा शौक विकसित करना चाहिए।

2. वर्तमान में यौन हिंसा/अपराध/नशा एवं युवाओं में बदलती मानसिकता व विशेषकर लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका उत्पीड़न या Black Mail किये जाने के बारे में संवेदित (Sensitize) किया जाना चाहिये, जिससे वे किसी के जाल में न फंसने पाएँ।

3. बच्चों के मित्रों की जानकारी रखते हुए उनकी गतिविधियों (Activities), पारिवारिक पृष्ठ भूमि (Family Back Ground) आदि का विवरण भी गोपनीय रूप से मालूम करते रहना चाहिए।

4. बच्चों को Mobile Phone, Internet, Facebook के दुरूपयोग व अन्य Cyber Crime के बारे में बताना चाहिए जिससे वे अपना कोड/पासवर्ड आदि किसी को न बतायें तथा इस बारे में नितांत

सतर्कता व गोपनीयता रखें।

5. बच्चों को अपने अंदर स्वः अनुशासन, विकसित करने तथा देर रात तक अजनबी मित्रों, परिचितों तथा पार्टी आदि जाने से बचने की शिक्षा दें, तथा शाम होते ही, घर आने की आदत अपनाने को प्रेरित करें। यदि किसी देर रात कार्यक्रम में जाना हो तो अकेले भेजने की अनुमति न दें वरन् अन्य सहेलियों व मित्रों के साथ ही विशेष परिस्थितियों में अनुमति दें।

6. बच्चों को यदि कोई परेशानी या किसी के द्वारा Black Mailing या उत्पीड़न हो तो महिला पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से गोपनीयता का अनुरोध करते हुए अवश्य सहायता लें।

7. आपकी बेटी भी जिस तरह पराये घर में बहू बनकर गई है, उसी प्रकार से आपके घर में भी किसी की बेटी बहू बनकर आई है अर्थात आपकी बेटी ही लौट आई है, इस भावना से स्नेह व सामंजस्य स्थापित करें जिससे घर में अच्छा माहौल व शांति स्थापित हो सके।

8. अपने पड़ोसियों से अच्छा मित्रवत व सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित करें, जिससे संकट में आप एक दूसरे के काम आ सकें। एक दूसरे से संकट आने पर कोई गोपनीय कोड (Alarm/Sound etc.) आदि तय कर एक दूसरे की सहायता करें।

लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ पुलिस के महत्वपूर्ण मोबाईल नम्बर

क्र.सं.	अधिकारियों का नाम	मोबाईल नम्बर
	पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन, लखनऊ	9454400143
	पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ	9454400212

जनपद—लखनऊ

1.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9454400290 ssplkw-up@nic.in
2.	अपर पुलिस अधीक्षक नगर पश्चिम	9454401088
3.	अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी	9454401087
4.	अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ट्रांसगोमती	9454401086
5.	अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी	9454458038
6.	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401083
7.	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात	9454401085
8.	अपर पुलिस अक्षीक्षक, अपराध	9454401089
9.	अपर पुलिस अधीक्षक, कण्ट्रोलरूम	9454458168
10.	अपर पुलिस अधीक्षक, प्रोटोकाल	9454401084
11.	अपर पुलिस अधीक्षक, वि०स० सुरक्षा	9454401503
12.	क्षेत्राधिकारी चौक	9454401491
13.	क्षेत्राधिकारी कैसरबाग	9454401497
14.	क्षेत्राधिकारी बाजारखाला	9454401496
15.	क्षेत्राधिकारी हज़रतगंज	9454401495
16.	क्षेत्राधिकारी आलमबाग	9454401489
17.	क्षेत्राधिकारी कृष्णानगर	9454401490
18.	स०पु०अ० / क्षेत्रा० अलीगंज	9454401494
19.	क्षेत्राधिकारी गाजीपुर	9454400387

20.	क्षेत्राधिकारी महानगर	9454401498
21.	क्षेत्राधिकारी कैण्ट	9454405234
22.	क्षेत्राधिकारी गोमतीनगर	9454401499
23.	क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज	9454401493
24.	क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद	9454401492
25.	क्षेत्राधिकारी बी०के०टी०	9454401500
26.	क्षेत्राधिकारी यातायात लाइन / फ्लीट	9454401501
27.	क्षेत्राधिकारी याता० नगर पूर्वी / अपराध	9415005936
28.	जिला नियन्त्रण कक्ष	7704902964
29.	प्र०नि० वजीरगंज	9454403874
30.	प्र०नि० चौक	9454403847
31.	थानाध्यक्ष ठाकुरगंज	9454403872
32.	प्र०नि० कैसरबाग	9454403857
33.	थानाध्यक्ष अमीनाबाद	9454403840
34.	प्र०नि० नाका	9454403867
35.	थानाध्यक्ष सआदतगंज	9454403870
36.	प्र०नि० बाजारखाला	9454403844
37.	थानाध्यक्ष तालकटोरा	9454403871
38.	प्र०नि० हजरतगंज	9454403853
39.	थानाध्यक्ष हुसैनगंज	9454403854
40.	थानाध्यक्ष गौतमपल्ली	9454402406
41.	थानाध्यक्ष महिला थाना	9454403860
42.	प्र०नि० आलमबाग	9454403838
43.	प्र०नि० मानकनगर	9454403863
44.	थानाध्यक्ष पारा	9454403875

45.	थानाध्यक्ष सरोजनीनगर	9454403869
46.	थानाध्यक्ष बन्थरा	9454403843
47.	थाना प्रभारी कृष्णानगर	9454403858
48.	थानाध्यक्ष अलीगंज	9454403839
49.	प्र०नि० मड़ियाँव	9454403864
50.	प्र०नि० जानकीपुरम्	9454403878
51.	था०प्र० गाजीपुर	9454403848
52.	प्र०नि० गुडम्बा	9454403851
53.	थानाध्यक्ष इंदिरानगर	9454403883
54.	थाना प्रभारी महानगर	9454403859
55.	थानाध्यक्ष हसनगंज	9454403852
56.	थानाध्यक्ष विकासनगर	9454403873
57.	थानाध्यक्ष कैण्ट	9454403845
58.	थानाध्यक्ष आशियाना	9454403845
59.	थानाध्यक्ष पी.जी.आई.	9454403876
60.	थानाध्यक्ष गोमतीनगर	9454403849
61.	थानाध्यक्ष विभूतिखण्ड	9454403880
62.	थाना प्रभारी चिनहट	9454403846
63.	थानाध्यक्ष गोसाइगंज	9454403850
64.	थानाध्यक्ष नगराम	9454403866
65.	थानाध्यक्ष निगोहा	9454403868
66.	प्र०नि० मोहनलालगंज	9454403865
67.	प्र०नि० मलिहाबाद	9454403862
68.	प्र०नि० काकोरी	9454403865
69.	थानाध्यक्ष माल	9454403861

70.	थानाध्यक्ष बी०के०टी०	9454403842
71.	प्र०नि० इटौंजा	9454403855

जनपद—हरदोई

1.	पुलिस अधीक्षक	9454400276 sphdi-up@nic.in
2.	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी	9454401061
3.	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी	9454401062
4.	क्षेत्राधिकारी नगर	9454401478
5.	क्षेत्राधिकारी सण्डीला	9454401480
6.	क्षेत्राधिकारी बिलग्राम	9454401481
7.	क्षेत्राधिकारी हरियावां	9454401483
8.	क्षेत्राधिकारी शाहबाद	9454401479
9.	क्षेत्राधिकारी हरपालपुर	9454401482
10.	क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक / बघौली	9454403573
11.	जिला नियन्त्रण कक्ष	9454417446

जनपद—खीरी

1.	पुलिस अधीक्षक	9454400284 spkhi-up@nic.in
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401072
3.	क्षेत्राधिकारी सदर	9454401484
4.	क्षेत्राधिकारी धौरहरा	9454401485
5.	क्षेत्राधिकारी पलिया	9454401488
6.	क्षेत्राधिकारी निघासन	9454401978
7.	क्षेत्राधिकारी गोला	9484401486
8.	क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी	9454401487

9.	क्षेत्राधिकारी मितौली	9452215836
10.	जिला नियन्त्रण कक्ष	9454417444

जनपद—रायबरेली

1.	पुलिस अधीक्षक	9454400302 sprbi-up@nic.in
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401108
3.	क्षेत्राधिकारी नगर	9454401513
4.	क्षेत्राधिकारी महराजगंज	9454401515
5.	क्षेत्राधिकारी लालगंज	9454401514
6.	क्षेत्राधिकारी डलमऊ	9454401518
7.	क्षेत्राधिकारी सलोन / अपराध	9454401517
8.	जिला नियन्त्रण कक्ष	9454417449

जनपद—सीतापुर

1.	पुलिस अधीक्षक	9454400309 spstp-up@nic.in
2.	अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी)	9454401118
3.	अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी)	9454401119
4.	क्षेत्राधिकारी नगर / यातायात	9454401519
5.	क्षेत्राधिकारी लाईन / सदर	9454401520
6.	क्षेत्राधिकारी लहरपुर	9454401522
7.	क्षेत्राधिकारी बिसवां	9454401525
8.	क्षेत्राधिकारी सिधौली	9454401521

9.	क्षेत्राधिकारी मिश्रिख	9454401523
10.	क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद	9454401524
11.	जिला नियन्त्रण कक्ष	9454417445

जनपद—उन्नाव

1.	पुलिस अधीक्षक	9454400312 spuao-up@nic.in
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401123
3.	क्षेत्राधिकारी नगर / यातायात / ऑकिक कार्यालय / अपराध	9454401526
4.	क्षेत्राधिकारी बीघापुर / वि०जा० सम्मन सेल / शिकायत प्रकोष्ठ	9454401527
5.	क्षेत्राधिकारी सफीपुर / लाइन	9454401528
6.	क्षेत्राधिकारी बाँगरमऊ	9454404375
7.	क्षेत्राधिकारी पुरवा	9454401530
8.	क्षेत्राधिकारी हसनगंज	9454401529
9.	जिला नियन्त्रण कक्ष	9454417447

जनपद–लखनऊ में पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाईनों का विवरण

1.	मार्डन कन्ट्रोल रूम	100
2.	वूमेन पावर लाईन	1090
3.	फायर सर्विस हेल्पलाईन	101
4.	एम्बुलेन्स सेवा	108
5.	चाईल्ड हेल्पलाईन	1098
6.	महिला सम्मान प्रकोष्ठ	9454401149
7.	यातायात हेल्पलाईन	2483800, 9454405155, 1073

परिशिष्ट–1
सुरक्षा गार्ड / घरेलू नौकर सत्यापन फार्म

1. नाम .....
2. पिता / पति का नाम .....
3. जन्मतिथि तथा स्थान .....
4. स्थायी पता .....

.....

5. पहचान पत्र का विस्तृत विवरण .....
6. स्थानीय पता .....

.....

7. लखनऊ में पूर्व मालिक का नाम पता / मोबाइल नं. .....

.....

8. पूर्व मालिक के यहाँ कार्य की अवधि या कार्य छोड़ने का कारण .....

.....

नौकर के हस्ताक्षर / निशानी अँगूठा

9. घरेलू नौकर का शारीरिक विवरण :
   लम्बाई ..... पहचान का कोई विशिष्ट चिन्ह .....
10. स्थानीय रिश्तेदारों तथा मित्रों का विवरण .....

.....

11. परिचय कराने वाले का विवरण व दूरभाष नम्बर .....
12. वर्तमान मालिक का पूरा विवरण .....
13. जाँच अधिकारी की टिप्पणी :

हस्ताक्षर .....
पुलिस अधिकारी का नाम
पदनाम :
दिनांक :